

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 53]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2016—पौष 9, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2016

क्र. ई-5-570-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को समसंख्यक आदेश 28 अक्टूबर 2016 द्वारा दिनांक 3 से 11 नवम्बर 2016 तक नौ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 3 से 15 नवम्बर 2016 तक तेरह दिन का संशोधित/पुनरीक्षित एक्स इंडिया अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-824-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री धनंजय सिंह भदौरिया, आयएएस., सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 28 दिसम्बर 2016 से 7 जनवरी 2017 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 जनवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री धनंजय सिंह भदौरिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री धनंजय सिंह भदौरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री धनंजय सिंह भदौरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2016

क्र. ई-1-381-2016-5-एक.—श्री गुलशन बामरा, भाप्रसे (1997), कमिश्नर, जबलपुर संभाग जबलपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, शहडोल संभाग शहडोल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-1-382-2016-5-एक.—श्रीमती अरूणा गुप्ता, भाप्रसे (2005) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव फेडरेशन डेयरी लिमिटेड को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2016

क्र. ई-5-486-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग को दिनांक 12 से 16 दिसम्बर 2016 तक पांच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 एवं 17, 18 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री के. के. सिंह, भाप्रसे, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. के. सिंह उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद चन्द्र सेमवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-882-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती शिल्पा गुप्ता, आयएएस., अपर परियोजना संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को दिनांक 29 से 30 अक्टूबर 2015 तक दो दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्रीमती शिल्पा गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शिल्पा गुप्ता अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2016

क्र. ई-13-34-2016-5-एक.—राज्य शासन निम्नलिखित भा.प्र.से. अधिकारी को मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर आईएएस आफिसर्स (फेज-3 राउन्ड-10), दिनांक 28 नवम्बर से 23 दिसम्बर 2016 तक आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति के क्रम में प्रशिक्षण हेतु नामांकित अधिकारी की प्रशिक्षण अवधि में उनके पद का प्रभार उनके नाम के समक्ष दर्शाये अधिकारी को सौंपा जाता है:—

क्र.	नाम अधिकारी एवं पद जिन्हें प्रशिक्षण में भाग लेना है	प्रभार जिन्हें सौंपा जाता है
(1)	श्री कृष्ण गोपाल तिवारी, भाप्रसे (2008) संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग.	श्री मसूद अख्तर, भाप्रसे (2002) संचालक, एड्स तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.
(2)		
(3)		

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2016

क्र. ई-5-632-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनुपम राजन, आयएएस, पर्यावरण आयुक्त एवं कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफ्को) तथा आयुक्त, जनसंपर्क तथा आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय को दिनांक 24 दिसम्बर 2016 से दिनांक 2-जनवरी 2017 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अनुपम राजन की अवकाश अवधि में पर्यावरण आयुक्त एवं कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन

(एफको) का प्रभार श्री संजीव सिंह, भाप्रसे, संचालक, कौशल विकास मध्यप्रदेश तथा संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान को तथा आयुक्त, जनसंपर्क का प्रभार श्री एस. के. मिश्रा, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, जनसंपर्क विभाग एवं प्रवासी भारतीय विभाग तथा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम एवं प्रबंध संचालक, राज्य कृषि उद्योग विकास निगम को तथा आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय का प्रभार श्री राजेश मिश्रा, भाप्रसे, आयुक्त-सह-संचालक मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, तथा पदेन सचिव, संस्कृति, विभाग एवं आयुक्त-सह-संचालक, संस्कृति तथा स्वराज संस्थान, मुख्य मंत्री तीर्थ दर्शन योजना तथा संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व का सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनुपम राजन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पर्यावरण आयुक्त, एवं कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफको) तथा आयुक्त, जनसंपर्क तथा आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अनुपम राजन, भाप्रसे द्वारा पर्यावरण आयुक्त एवं कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफको) तथा आयुक्त, जनसंपर्क तथा आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजीव सिंह, भाप्रसे, पर्यावरण आयुक्त एवं कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफको) श्री एस. के. मिश्रा, भाप्रसे, आयुक्त, जनसंपर्क, श्री राजेश मिश्रा, भाप्रसे आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अनुपम राजन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुपम राजन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-685-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री डी. पी. आहूजा, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. (ट्रायफेक) को दिनांक 19 से 31 दिसम्बर 2016 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 दिसम्बर 2016 एवं 1 जनवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. आहूजा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश

राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. (ट्रायफेक) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री डी. पी. आहूजा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. आहूजा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-803-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. के. खरे, आयएएस., प्रमुख राजस्व आयुक्त, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री को दिनांक 12 से 30 दिसम्बर 2016 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री के. के. खरे की अवकाश अवधि में श्री राजेश कुमार कौल, भाप्रसे, संयुक्त आयुक्त, प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख राजस्व आयुक्त, भोपाल तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. के. खरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख राजस्व आयुक्त, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री के. के. खरे द्वारा प्रमुख राजस्व आयुक्त, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजेश कुमार कौल उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री के. के. खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. खरे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-873-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अभिषेक सिंह, आयएएस., कलेक्टर, जिला उमरिया को दिनांक 21 से 29 दिसम्बर 2016 तक, नौ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री अभिषेक सिंह की अवकाश अवधि में श्री एच. एस. मीणा, अपर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत

उमरिया को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला उमरिया का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अभिषेक सिंह को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला उमरिया के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अभिषेक सिंह द्वारा कलेक्टर, जिला उमरिया का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एच. एस. मीणा, कलेक्टर, जिला उमरिया के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अभिषेक सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिषेक सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2016

क्र. ई-1-305-2016-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 नवम्बर 2016 द्वारा श्री शिवम वर्मा, भाप्रसे (2013) को दिनांक 21 नवम्बर 2016 से राजस्व संबंधी विषयों पर दो सप्ताह और प्रशिक्षण के लिए आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में संबद्ध किया गया है। श्री शिवम वर्मा के प्रशिक्षण की अवधि में दो सप्ताह के स्थान पर कुल तीन सप्ताह की वृद्धि की जाती है।

(2) इसके अलावा श्री वर्मा को आवंटन वर्ष 2015 के भाप्रसे, अधिकारियों के साथ विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने/अध्ययन भ्रमण करने की अनुमति प्रदान की जाती है। तत्संबंध में आवश्यक निर्देश आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल द्वारा जारी किये जावेंगे।

क्र. ई-1-388-2016-5-एक.—श्री रमेश एस. थेटे, भाप्रसे (1993) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री रमेश एस. थेटे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली के अन्तर्गत विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में वेतन नियमों की अनुसूची में सम्मिलित

सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

क्र. ई-5-593-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अशोक बर्णवाल, आयएस., प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा विमानन विभाग को दिनांक 7 से 12 दिसम्बर 2016 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री अशोक बर्णवाल की अवकाश अवधि में प्रमुख सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का प्रभार डॉ. राजेश राजौरा, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक बर्णवाल को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा विमानन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अशोक बर्णवाल द्वारा प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा विमानन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. राजेश राजौरा, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अशोक बर्णवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक बर्णवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-785-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, आयएस., आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल को दिनांक 21 से 24 नवम्बर 2016 तक चार दिन का लघुकृत अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1031-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला, आयएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 6 सितम्बर 2016 द्वारा दिनांक 13 से 19 अक्टूबर 2016 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में अब उन्हें दिनांक 20 से 27 अक्टूबर 2016 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2016

क्र. ई-5-834-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती रजनी उईके, आयएस., विकअ-सह-सचिव, राज्य सूचना आयोग को दिनांक 22 से 24 नवम्बर 2016 तक, तीन दिन का लघुकृत अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्रीमती रजनी उईके को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रजनी उईके अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-900-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आनन्द कुमार शर्मा, आयएस., अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर को दिनांक 29 दिसम्बर 2016 से 7 जनवरी 2017 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 जनवरी 2017 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द कुमार शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री आनन्द कुमार शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आनन्द कुमार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-963-आयएस-लीव-5-एक.—श्रीमती रजनी सिंह, आयएस., अनुविभागीय अधिकारी बीना, जिला सागर को दिनांक 28 नवम्बर से 9 दिसम्बर 2016 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 27 नवम्बर 2016 एवं 10, 11 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रजनी सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी बीना, जिला सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रजनी सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रजनी, सिंह अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2016

क्र. ई-5-477-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राधेश्याम जुलानिया, आयएस., विकअ-सह-आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 2 से 9 जनवरी 2017 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 जनवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री राधेश्याम जुलानिया की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती नीलम शमी राव, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राधेश्याम जुलानिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकअ-सह-आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री राधेश्याम जुलानिया द्वारा विकअ-सह-आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती नीलम शमी राव उक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री राधेश्याम जुलानिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राधेश्याम जुलानिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-794-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रघुराज एम. आर., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2016 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2016 एवं दिनांक 1 जनवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रघुराज एम. आर. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री रघुराज एम. आर. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रघुराज एम. आर. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-768-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संदीप यादव, आयुक्त, आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश तथा आयुक्त, विमानन को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2016 तक पांच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2016 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री संदीप यादव की अवकाश अवधि में आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश का प्रभार श्री नीतेश व्यास, भाप्रसे, आयुक्त गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को तथा आयुक्त, विमानन का प्रभार श्री अशोक वर्णवाल, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संदीप यादव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश तथा आयुक्त, विमानन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री संदीप यादव द्वारा आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश तथा आयुक्त, विमानन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीतेश व्यास एवं श्री अशोक वर्णवाल सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री संदीप यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संदीप यादव, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-800-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती (डॉ.) मधु खरे, आयुक्त, सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 14 से 31 दिसम्बर 2016 तक, अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13 दिसम्बर 2016 एवं 1 जनवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती (डॉ.) मधु खरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती (डॉ.) मधु खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती (डॉ.) मधु खरे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2016

क्र. ई-5-720-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री गुलशन बामरा, आयुक्त, आयुक्त, जबलपुर संभाग को दिनांक 27 से 31 दिसम्बर, 2016 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 1 जनवरी 2017 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री गुलशन बामरा की अवकाश अवधि में आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर का प्रभार श्री के. पी. राही, भाप्रसे, अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री गुलशन बामरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, जबलपुर संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री गुलशन बामरा द्वारा आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के पी राही, भाप्रसे उक्त के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री गुलशन बामरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गुलशन बामरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर पुनः कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-775-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एम. सेलवेन्द्रन, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, को दिनांक 19 से 30 दिसम्बर 2016 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17 एवं 18 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एम. सेलवेन्द्रन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री एम. सेलवेन्द्रन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. सेलवेन्द्रन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-867-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री तरूण पिथौड़े, भाप्रसे, कलेक्टर, जिला राजगढ़ को दिनांक 22 से 31 दिसम्बर, 2016 तक, दस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 जनवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री तरूण पिथौड़े की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री राजेश जैन, राप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत राजगढ़ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, कलेक्टर जिला राजगढ़ का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री तरूण पिथौड़े को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री तरूण पिथौड़े द्वारा कलेक्टर जिला राजगढ़ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजेश जैन, कलेक्टर, जिला राजगढ़ के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री तरूण पिथौड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरूण पिथौड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2016

क्र. एफ-3-5-2016-एक-4.—राज्य शासन, एतद्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन-2016 (उत्तरार्द्ध) हेतु आयोग द्वारा जारी संलग्न परिशिष्ट-एक एवं संशोधित परिशिष्ट-दो के अनुसार मतदान दिनांक 10 दिसम्बर 2016 शनिवार को जिले के संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

उक्त दिनांक केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये पराक्रम्य लिखित अधिनियम (निगोशिण्बल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्याम बाई धुर्वे, अवर सचिव.

परिशिष्ट-एक

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन
58, अरेरा हिल्स भोपाल 462 011

उप निर्वाचन

पंचायत उत्तरार्द्ध 2016

परिपत्र क्रमांक एफ-37-03-2016-तीन-414 भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2016

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 42 तथा धारा 9(2)(क)

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 का नियम-28

स. क्र. (1)	कार्यवाही (2)	संबंधित नियम (3)	निर्धारित दिनांक (4)	दिन (5)	समय (6)
1	I. निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना. II. स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन III. मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	28.29 29-क 23	19 नवम्बर 2016 19 नवम्बर 2016 19 नवम्बर 2016	शनिवार शनिवार शनिवार	प्रातः 10.30 बजे से प्रातः 10.30 बजे से प्रातः 10.30 बजे से
2	नाम निदेशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख	28(क)	26 नवम्बर 2016	शनिवार	प्रातः 10.30 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक
3.	नाम निदेशन पत्रों की संवीक्षा (जांच)	28(ख)	28 नवम्बर 2016	सोमवार	प्रातः 10.30 बजे से
4	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख	28(ग)	30 नवम्बर 2016	बुधवार	अपरान्ह 3.00 बजे तक
5	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन	38.39	30 नवम्बर 2016	बुधवार	अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद
6	मतदान (यदि आवश्यक हो)	28(घ)	10 दिसम्बर 2016	शनिवार	प्रातः 7.30 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक
7	मतगणना, सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम घोषणा I. मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना (केवल पंच पद के लिए.) II. सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखण्ड मुख्यालय पर ई. व्ही. एम. से की जाने वाली मतों की गणना III. पंच पद की मतदान केन्द्र पर की गयी मतगणना का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा. IV. पंच पद की विकासखण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना, सारणीकरण और परिणाम की घोषणा. V. सरपंच एवं जनपद पंचायत सदस्य पद के लिये मतों का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा.	28(ङ), 28(च)	10 दिसम्बर 2016 14 दिसम्बर 2016 16 दिसम्बर 2016 16 दिसम्बर 2016 14 दिसम्बर 2016	शनिवार बुधवार शुक्रवार शुक्रवार बुधवार	मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात् प्रातः 8.00 बजे से प्रातः 10.30 बजे से प्रातः 10.30 बजे से प्रातः 10.30 बजे से

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
VI.	जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का विकासखण्ड स्तरीय सारणीकरण.				14 दिसम्बर 2016	बुधवार	प्रातः 10.30 बजे से
VII.	जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा.				15 दिसम्बर 2016	गुरुवार	प्रातः 10.30 बजे से

हस्ता./-

सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

संशोधित परिशिष्ट-दो

त्रि-स्तरीय पंचायतों में दिनांक 30 सितम्बर 2016 की स्थिति में रिक्त पदों एवं आम निर्वाचन वर्ष 2016 (उत्तरार्द्ध) हेतु पदों की संख्या का विवरण

स. क्र.	जिला	उप निर्वाचन हेतु संभावित रिक्त पदों की संख्या				आम निर्वाचन हेतु पदों की संख्या	
		पंच	सरपंच	जनपद पंचायत सदस्य	जिला पंचायत सदस्य	पंच	सरपंच
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	मुरैना	265	2	-	-	116	6
2	श्यापुर	372	0	-	-	-	-
3	भिण्ड	32	0	-	-	66	4
4.	ग्वालियर	1	1	-	-	-	-
5	शिवपुरी	504	13	-	-	36	2
6	दतिया	381	0	-	-	-	-
7	गुना	7	0	-	-	-	-
8	अशोकनगर	110	-	-	-	-	-
9	उज्जैन	440	0	-	-	-	-
10	नीमच	0	-	-	-	-	-
11	रतलाम	90	2	-	-	-	-
12	शाजापुर	238	1	0	-	-	-
13	आगर-मालवा	1	1	-	-	-	-
14	मदसौर	12	1	-	-	-	-
15	देवास	749	0	-	-	-	-
16	भोपाल	192	0	1	-	-	-
17	सीहोर	41	0	0	-	30	2
18	विदिशा	651	3	0	-	-	-
19	राजगढ़	210	0	1	-	-	-
20	रायसेन	313	2	0	-	-	-
21	होशंगाबाद	242	0	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
22	हरदा	5	-	-	-	-	-
23	बैतूल	113	2	0	1	-	-
24	इन्दौर	36	0	0	-	-	-
25	झाबुआ	5	0	0	-	-	-
26	अलीराजपुर	3	0	0	-	-	-
27	धार	9	1	1	-	32	2
28	खरगौन	234	1	-	-	-	-
29	बड़वानी	149	0	-	-	-	-
30	खण्डवा	19	1	0	-	-	-
31	सागर	67	1	2	-	30	2
32	टीकमगढ़	6	-	-	-	20	1
33	पन्ना	14	4	-	-	-	-
34	छतरपुर	9	2	-	-	-	-
35	दमोह	170	1	0	-	-	-
36	जबलपुर	44	3	1	-	-	-
37	नरसिंहपुर	48	1	-	-	-	-
38	छिन्दवाड़ा	10	0	0	-	-	-
39	सिवनी	6	1	1	-	-	-
40	बालाघाट	42	4	1	-	-	-
41	मण्डला	33	0	-	-	-	-
42	रीवा	105	5	-	-	-	-
43	सतना	21	0	-	-	254	15
44	सीधी	12	1	-	-	-	-
45	सिंगरौली	10	2	-	-	-	-
46	डिण्डोरी	19	0	0	-	-	-
	योग	6040	56	8	-	584	34

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2016

क्र. एफ-3-5-2016-एक-4.—राज्य शासन एतद्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन-2016 (उत्तरार्द्ध) द्वितीय चरण हेतु आयोग द्वारा जारी संलग्न परिशिष्ट-एक एवं परिशिष्ट-दो के अनुसार मतदान दिनांक 17 दिसम्बर 2016 शनिवार को जिले के संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

उक्त दिनांक केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये पराक्रम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्याम बाई धुर्वे, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन

58, अरेरा हिल्स भोपाल 462 011

आम निर्वाचन

पंचायत उत्तरार्द्ध 2016 (चरण-दो)

परिपत्र क्रमांक एफ-37-03-2016-तीन-438 भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2016

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 42 तथा धारा 9(2)(क)

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 का नियम-28

स. क्र.	कार्यवाही	संबंधित नियम	निर्धारित दिनांक	दिन	समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	I. निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना.	28.29	26 नवम्बर 2016	शनिवार	प्रातः 10.30 बजे
	II. स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन	29-क	26 नवम्बर 2016	शनिवार	प्रातः 10.30 बजे
	III. मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	23	26 नवम्बर 2016	शनिवार	प्रातः 10.30 बजे
2	नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख	28(क)	3 दिसम्बर 2016	शनिवार	प्रातः 10.30 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक
3	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच)	28(ख)	5 दिसम्बर 2016	सोमवार	प्रातः 10.30 बजे से
4	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख	28(ग)	7 दिसम्बर 2016	बुधवार	अपरान्ह 3.00 बजे तक
5	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन	38.39	7 दिसम्बर 2016	बुधवार	अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद
6	मतदान (यदि आवश्यक हो)	28(घ)	17 दिसम्बर 2016	शनिवार	प्रातः 7.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक
7	मतगणना, सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम घोषणा	28(ड), 28(च)			
	I. मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना (केवल पंच पद के लिए)		17 दिसम्बर 2016	शनिवार	मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात्
	II. सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखण्ड मुख्यालय पर ई. व्ही. एम. से की जाने वाली मतों की गणना		20 दिसम्बर 2016	मंगलवार	प्रातः 8.00 बजे से

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
III.	पंच पद की मतदान केन्द्र पर की गयी मतगणना का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा.		22 दिसम्बर 2016	गुरुवार	प्रातः 10.30 बजे से
IV.	पंच पद की विकासखण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना, सारणीकरण और परिणाम की घोषणा.		22 दिसम्बर 2016	गुरुवार	प्रातः 10.30 बजे से
V.	सरपंच एवं जनपद पंचायत सदस्य पद के लिये मतों का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा.		20 दिसम्बर 2016	मंगलवार	प्रातः 10.30 बजे से
VI.	जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का विकासखण्ड स्तरीय सारणीकरण.		20 दिसम्बर 2016	मंगलवार	प्रातः 10.30 बजे से
VII.	जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा.		21 दिसम्बर 2016	बुधवार	प्रातः 10.30 बजे से

हस्ता./-
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

परिशिष्ट-दो

त्रि-स्तरीय पंचायतों में दिनांक 30 सितम्बर 2016 की स्थिति में रिक्त पदों एवं आम निर्वाचन वर्ष 2016
(उत्तरार्द्ध) हेतु पदों की संख्या का विवरण

स. क्र.	जिला	उप निर्वाचन हेतु संभावित रिक्त पदों की संख्या				आम निर्वाचन हेतु पदों की संख्या	
		पंच	सरपंच	जनपद पंचायत सदस्य	जिला पंचायत सदस्य	पंच	सरपंच
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	शहडोल	8	0	0	-	15	1
2	अनूपपुर	5	1	-	-	91	6
3	उमरिया	18	1	-	-	10	1
4	कटनी	9	2	1	-	55	5
5	बुरहानपुर	61	0	-	-	-	-
6	झाबुआ	-	-	-	-	49	3
7	नीमच	2	-	-	-	-	-
8	खण्डवा	1	-	-	-	-	-
9	मन्दसौर	3	1	-	-	-	-
योग		107	5	1	0	220	16

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2016

क्र. एफ-1(ए)252-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल (अभि./प्रशि.) पुमु, भोपाल को खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष के विस्तार वर्ष 2016 के अंतर्गत गृह नगर यात्रा के बदले परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जाने हेतु दिनांक 12 दिसम्बर 2016 से 12 जनवरी 2017 तक, कुल बत्तीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 10-11 दिसम्बर 2016 एवं 13-14 जनवरी 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ अवकाश यात्रा सुविधा एवं 10 दिवस के अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति की अनुमति प्रदान की जाती है:—

1. श्री मनीष शंकर शर्मा,	..	स्वयं
2. श्रीमती आरती	..	पत्नी
3. तेजस्वी शंकर	..	पुत्र
4. मनस्वी शंकर	..	पुत्र

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे का कार्य श्री आर.एल. प्रजापति, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, रेंज भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल (अभि./प्रशि.) पुमु, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल (अभि./प्रशि.) पुमु, भोपाल के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2016

क्र. एफ 1(बी)83-2014-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोजित परीक्षा 2013 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर अनुपूरक सूची के स. क्र.-11 (अनुक्रमांक-100752-अनुसूचित जाति वर्ग) पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक

से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये-15600-39100+5400/- में वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान) के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम (04) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है:—

क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुपूरक सूची का क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता	पदस्थापना कार्यालय/स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1	11	डॉ. राजेश लचौरिया, टी. एच.-3, टीचर्स हास्टल, डॉ. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर म. प्र.- 470003.	जिला सीन आफ क्राईम (मोबाईल) यूनिट, श्योपुर.

(2) नवनियुक्त अधिकारीगण आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में कॉलम (04) में अंकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करे अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.

(3) नवनियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम-1993 से शासित होगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे.

(4) नवनियुक्त अधिकारियों की सेवाए किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग-पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहे तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.

(5) राज्य शासन के अधीन दिनांक 01-01-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.

(6) नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेंगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

(7) परिवीक्षाधीन अधिकारियों द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक "बाण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित

करना होगा की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते, यात्रा भत्ते, एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे।

(8) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजॉच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

(9) प्रत्याशी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के पुलिस अधीक्षक/संयुक्त निदेशक क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला कार्यालय/कार्यालय प्रमुख को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

(10) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13-05-2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की पृविष्टियों रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

(11) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम को उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6, की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2016

क्र. एफ-1(ए)20-06-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भा.पु.से., पुलिस उप महानिरीक्षक, सागर रेंज सागर को दिनांक 22 दिसम्बर 2016 से 07 जनवरी 2017 तक सत्रह दिवस अर्जित एवं दिनांक 8 जनवरी 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्ड वर्ष 2014-17 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2016-17 में गृह नगर की अवकाश यात्रा सुविधा के बदले में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अवकाश यात्रा के साथ 10 दिवस अर्जित अवकाश-नगदीकरण की अनुमति प्रदान की जाती है:—

क्रमांक (1)	परिवार के सदस्यों के नाम (2)	संबंध (3)
1.	श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ	स्वयं
2.	श्रीमती विनीता	पत्नी
3.	श्री अमन	पुत्र
4.	कु. अमिता	पुत्री

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भा.पु.से., का चालू कार्य श्री सचिन अतुलकर, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, सागर अपने कार्य के साथ-साथ संपादित करेंगे।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भा.पु.से., को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, सागर रेंज सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भा.पु.से., के अवकाश से लौटने पर कंडिका-2 में अंकित अधि. अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भा.पु.से., अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए)186-91-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री अजय कुमार शर्मा, भा. पु. से., अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, इंदौर को दिनांक 19 से 22 दिसम्बर 2016 तक चार दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 17-18 दिसम्बर 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री अजय कुमार शर्मा, भा. पु. से. की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री आर. पी. सिंह, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर रेंज (ग्रामीण), द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)264-86-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री बी. मारिया कुमार, भा.पु.से., विशेष पुलिस महानिरीक्षक, सायबर, पुमु, भोपाल को खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष के विस्तार वर्ष 2016 के अंतर्गत दिनांक 18 से 29 दिसम्बर 2016 तक कुल बारह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए परिवार के

निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृह नगर हैदराबाद (तैलंगाना) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति प्रदान की जाती है:—

क्रमांक	परिवार के सदस्यों के नाम	संबंध
(1)	(2)	(3)
1.	श्री बी. एम. कुमार	स्वयं
2.	श्रीमती विजय लक्ष्मी	पत्नी
3.	कु. सुष्मिता	पुत्री

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री बी. एम. कुमार, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते में घटाये जायेंगे।

(3) उक्त अवकाश अवधि श्री बी. मारिया कुमार, भापुसे, का चालू कार्य डॉ. एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सायबर, पुमु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(4) अवकाश से लौटने पर श्री बी. एम. कुमार, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक, (सायबर) पुमु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(5) श्री बी. एम. कुमार, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(6) अवकाशकाल में श्री बी. एम. कुमार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. एम. कुमार, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)398-88-ब-2-दो.—डॉ. विजय कुमार, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस अग्निशमन सेवाएँ, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दि. 19 से 31 दिसम्बर 2016 तक कुल तेरह दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 17-18 दिसम्बर 2016 एवं दिनांक 1 जनवरी 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) डॉ. विजय कुमार, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री अशोक अवस्थी, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएँ, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. विजय कुमार, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवाएँ, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) डॉ. विजय कुमार, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में डॉ. विजय कुमार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. विजय कुमार, भापुसे, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

क्र. एफ 1(ए)18-93-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री व्ही. मधु कुमार, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन जोन उज्जैन, को खण्ड वर्ष-2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2014-15 के विस्तार वर्ष 2016 में दिनांक 23 से 28 दिसम्बर 2016 तक कुल छः दिवस अर्जित अवकाश, स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में सपरिवार पर्यटन हेतु केरल जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा के तहत 10 दिवस अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान जाती है:—

1.	श्री वी. मधुकुमार	स्वयं
2.	श्रीमती श्रीदेवी कुमार	पत्नी
3.	कु. श्राव्या राजश्री कुमार	पुत्री
4.	ऐश्वरी कुमार	पुत्र

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री व्ही. मधु कुमार, भापुसे, को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे।

(3) उक्त अवकाश अवधि श्री व्ही. मधु कुमार, भापुसे, का चालू कार्य श्री राकेश गुप्ता, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, उज्जैन रेंज उज्जैन, द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(4) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. मधु कुमार भापुसे, का अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/ पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन जोन उज्जैन, के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(5) श्री व्ही. मधु कुमार, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(6) अवकाशकाल में श्री व्ही. मधु कुमार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. मधु कुमार, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)150-1990-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 16 दिसम्बर 2016 को निरस्त करते हुए श्री संजय व्ही. माने, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, रा. अ. अ. ब्यूरो, पुमु, भोपाल को खण्डवर्ष 2014-15 के प्रथम ब्लाक वर्ष के विस्तार वर्ष 2016 के अंतर्गत परिवार सहित गृह नगर बैलगाँव (कर्नाटक) जाने हेतु दिनांक 24 दिसम्बर 2016 से 7 जनवरी 2017 तक कुल पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :—

1. श्री संजय व्ही. माने — स्वयं
2. श्रीमती शर्मिला माने — पत्नी
3. कु. पल्लवी माने — पुत्री

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री संजय व्ही. माने, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटायें जायेंगे.

(3) उक्त अवकाश अवधि श्री संजय व्ही. माने, भापुसे, का कार्य मो. शाहिद अबसार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, रा. अ. अ. ब्यूरो, पुमु, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री संजय व्ही. माने, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, रा. अ. अ. ब्यूरो, पुमु, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) श्री संजय व्ही. माने, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कण्डिका (3) में निर्देशित अधिकारी स्वत-अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(6) अवकाशकाल में श्री संजय व्ही. माने, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय व्ही. माने, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)150-1990-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा जारी श्री संजय व्ही. माने, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, रा. अ. अ. ब्यूरो, पुमु, भोपाल को खण्डवर्ष 2014-15 के प्रथम ब्लाक वर्ष के विस्तार वर्ष 2016 के अंतर्गत परिवार सहित गृह नगर बैलगाँव (कर्नाटक) जाने हेतु दिनांक 24 दिसम्बर 2016 से 7 जनवरी 2017 तक कुल पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :—

1. श्री संजय व्ही. माने — स्वयं
2. श्रीमती शर्मिला माने — पत्नी
3. कु. पल्लवी माने — पुत्री

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री संजय व्ही. माने, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटायें जायेंगे.

(3) उक्त अवकाश अवधि श्री संजय व्ही. माने, भापुसे, का कार्य मो. शाहिद अबसार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, रा. अ. अ. ब्यूरो, पुमु, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री संजय व्ही. माने, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, रा. अ. अ. ब्यूरो, पुमु, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) श्री व्ही. मधु कुमार, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(6) अवकाशकाल में श्री संजय व्ही. माने, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय व्ही. माने, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)155-95-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री अनिल कुमार, भा.पु.से., महानिदेशक विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल को दिनांक 23 दिसम्बर 2016 से 7 जनवरी 2017 तक सोलह दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 8 जनवरी 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री अनिल कुमार, भा. पु. से., की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री एस. एम. अफजल, भापुसे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (पूर्व) विशेष, पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अनिल कुमार, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2016

फा. क्र. 1-1-2002-इक्कीस-ब (एक)-5034.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री अखिलेश चन्द्र शुक्ला (सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश) वर्तमान में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिंगरौली, वर्तमान धारित पद की सेवा को आगे निरंतर न रखते हुए तत्काल प्रभाव से सेवा से मुक्त करता है।

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2016

क्र. एफ-4266-2016-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री ओम प्रकाश सुनरया, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़ को उनके द्वारा दिनांक 3 अक्टूबर 2016 को प्रस्तुत सूचना पत्र के अनुक्रम में ऑल इंडिया सर्विसेज (डेथ कम रिटायरमेंट बेनीफिट) रूल्स, 1958 के नियम 16 (2-ए), सहपठित मध्यप्रदेश जिला एवं सेशन न्यायाधीश (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनीफिट) रूल्स, 1964 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 42 (1) सहपठित मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 के नियम 17 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने के लिये अनुज्ञात

किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 31 जनवरी 2017 के अपरान्ह से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2016

फा. क्र. 3817-4081-इक्कीस-ब (दो)-2016.—राज्य शासन, माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ ग्वालियर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन, भोपाल म. प्र. के दाण्डिक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त संगठन), भोपाल की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त श्री के. एल. गुप्ता, अधिवक्ता, ग्वालियर को 40,000/- (चालीस हजार) (जिसमें संगठन द्वारा प्रदत्त दाण्डिक से भिन्न मामलों का पारिश्रमिक भी शामिल हैं) के मासिक पारिश्रमिक पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (8) के अंतर्गत एक वर्ष की कालावधि के लिये नियुक्त करता है। इसके अलावा वे संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय भी पा सकेंगे। प्रत्येक माह के बिल की राशि का भुगतान विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल मध्यप्रदेश करेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. सोनी, अतिरिक्त सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2016

क्र. 2451-1355-2016-बी(सी) ग्यारह.—राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, को प्रशासकीय आधार पर समान सामर्थ्य में स्थानांतरित करते हुये, उनके नाम के समक्ष कॉलम तीन में दर्शाये गये स्थान पर अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, पदस्थ करता है :-

अनु. क्र. (1)	अधिकारी का नाम पद एवं वर्तमान पदस्थापना (2)	नवीन पदस्थापना (3)	रिमांक (4)
1	श्री अजय खरे, सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, उज्जैन संभाग, उज्जैन.	कार्यालय सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, रीवा संभाग रीवा (म. प्र.).	-
2	श्री बी. एस. सोलंकी, सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर.	कार्यालय सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, उज्जैन संभाग, उज्जैन (म. प्र.).	अतिरिक्त प्रभार कार्यालय, सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं, इंदौर, संभाग, इंदौर.
3	श्री एम. जे. कुरेशी, सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, सागर संभाग, सागर.	-	अतिरिक्त प्रभार कार्यालय, सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर.

क्र. 2453-1355-2016-बी(सी) ग्यारह.—राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारियों को सारणी के कालम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर, उसके कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है :—

अनु. क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	अधिनियम की धाराएं (3)	क्षेत्र (4)
1	श्री अजय खरे, सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, रीवा संभाग, रीवा.	6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25(2), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38 एवं 39.	रीवा संभाग, रीवा
2	श्री बी. एस. सोलंकी, सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, उज्जैन संभाग, उज्जैन.	6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 18, 25(2), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38 एवं 39.	उज्जैन संभाग, उज्जैन एवं इंदौर संभाग, इन्दौर.
3	श्री एम. जे. कुरेशी, सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, सागर संभाग, सागर.	6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25(2), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38 एवं 39.	ग्वालियर संभाग, ग्वालियर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. बरोनिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2016

क्र. एफ 1(1) 80-2011-बी(सी)-ग्यारह.—राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2012 के तहत सम्पन्न संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा परिणाम के आधार पर जिला रोजगार अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिये अनुशंसित निम्नलिखित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर वेतनमान रुपये 15600-39100+5400 ग्रेड पे में निम्नांकित शर्तों पर जिला रोजगार अधिकारी के पद पर नियुक्त कर उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक (4) में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सूची का क्रमांक	उम्मीदवार का नाम एवं वर्तमान पता (3)	पदस्थापना का स्थान (4)
(1).	(2)	(3)	(4)
1	1	श्रीमती कीर्ति दुबे, पुत्री श्री सुरेन्द्र प्रसाद दुबे, उप निरीक्षक (रेडियो) म. क्र. 142, पुलिस अधीक्षक, कार्यालय परिसर, पुलिस रेडियो जोन, सिविल लाइन रोड, जबलपुर (म. प्र.) पिन कोड-48200.	प्रतिनियुक्ति पर, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल (म. प्र.).
2	4	श्री रवि बरेलिया, पिता स्व. श्री शांतिलाल बरेलिया, ग्राम ठकुरपुरा वार्ड नं. 39, कत्थामिल के पास, शिवपुरी (म. प्र.) पिन-कोड 473551.	जिला रोजगार कार्यालय, मुरैना (म. प्र.).

(1)	(2)	(3)	(4)
3	5	श्री सोनल सिडाम, पिता श्री रामाराव सिडाम 387/1, इंदिरा गांधी वार्ड नं. 15 सौंसर, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा, (म. प्र.) पिन कोड 480106.	प्रतिनियुक्ति पर मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर (म. प्र.)
4	6	श्री जितेन्द्र सिंह निंगवाल, पिता स्व. श्री कनक सिंह निंगवाल, प्लेट नं. 107, 38 न्यू सन्त नगर, खण्डवा नाका, इन्दौर (म. प्र.) पिन कोड 452001.	जिला रोजगार कार्यालय, खरगौन (म. प्र.)
5	7	श्री श्याम कुमार धुर्वे, पिता श्री सहाबलाल धुर्वे, 475, अर्जुन नगर, वार्ड क्र. 02, बैतूल, तह. बैतूल, जिला बैतूल (म. प्र.) पिन कोड 460001.	जिला रोजगार कार्यालय, सीहोर (म. प्र.)

2. उपरोक्त परिवीक्षाधीन जिला रोजगार अधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु अनुशंसित योग्यता सूची अनुसार रहेगी.

3. दो वर्ष की परिवीक्षाधीन में परिवीक्षाधीन जिला रोजगार अधिकारी का कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर राज्य शासन उनकी परिवीक्षावधि में आगे और वृद्धि कर सकेगा या सेवा समाप्त कर सकेगा.

4. उपरोक्त नियुक्त जिला रोजगार अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, मध्यप्रदेश रोजगार सेवा (राजपत्रित) भरती नियम, 1991 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अंतर्गत शासित होंगे.

5. वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-9-3-2003-नियम-चार, दिनांक 13 अप्रैल 2005 में उल्लेखित निर्देशों के तहत उपरोक्त जिला रोजगार अधिकारी को परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू सामान्य नियमों अथवा भविष्य में लागू होने वाले नियमों के अध्ययन में रहेंगे.

6. उम्मीदवारों को पदभार ग्रहण करने के पूर्व अपर संचालक, उद्योग एवं रोजगार संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल के समक्ष उपस्थित होकर अपने आयु एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होंगे एवं उसकी छायाप्रतियाँ सत्यापित कराकर जमा करानी होगी. सत्यापन पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापिस कर दिये जायेंगे. उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा. शासकीय/अर्धशासकीय/विभागों/निकायों में कार्यरत उम्मीदवारों को उपस्थिति के समय नियुक्ति का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

7. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के आयोज्य पाये जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी.

8. यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर रिट याचिका क्रमांक 21537/2015 के निर्णय के अध्ययन में रहेगी.

9. प्रमाणित किया जाता है कि म. प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है, तथा उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. बरोनिया, उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2016

क्रमांक/एफ-15-25/2016/10-2 :: भारतीय वन अधिनियम-1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम-2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम के नियम-03(1) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है।

अनुसूची

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर)	सीमाये
1.	हरदा	रहटगांव सामान्य	गोराखाल जलप्रपात	आरक्षित वन-213	5.000	पूर्व- कक्ष क्रमांक 176 पश्चिम- कक्ष क्रमांक 213 उत्तर- कक्ष क्रमांक 213 दक्षिण- कक्ष क्रमांक 213

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2016

क्र. एफ-15-25-2016-दस-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-25-2016-दस-2, दिनांक 14 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 14th December 2016

No./F-15-25/2016/10-2 :: In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015. Under the sub-section 3 (1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette.

Schedule

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment no.	Area (in Hact)	Boundaries
1.	Harda	Rahatgaon (T.)	Gorakhal Water Fall	RF-213	05.000	East- RF 176 West- RF 213 North- RF 213 South- RF 213

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2016

क्रमांक/एफ-15-31/2016/10-2 :: भारतीय वन अधिनियम-1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम-2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम के नियम-03(1) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है।

अनुसूची

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर)	सीमायें
1.	दक्षिण सागर	गढ़ाकोटा	रमना	आरक्षित वन-903	5.25	पूर्व- कक्ष क्रमांक 903, शंकरजी के मंदिर से प्राचीन पत्थर से बने हुये रथ तक। पश्चिम- कक्ष क्रमांक 903, प्राचीन किले से प्राचीन मोती कुआं तक। उत्तर- कक्ष क्रमांक 903, प्राचीन किले से शंकरजी के मंदिर तक। दक्षिण- कक्ष क्रमांक 903, प्राचीन मोती कुआं से प्राचीन पत्थर से बने हुए रथ तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2016

क्र. एफ-15-31-2016-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-31-2016-दस-2, दिनांक 14 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 14th December 2016

No./F-15-31/2016/10-2. :: In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015. Under the sub-section 3(1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette.

Schedule

S. no.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment no.	Area (in Hectares)	Boundaries
1	South Sagar	Gadhakota	Ramna	RF-903	5.25	<p>East- Compartment no. 903, Shankarji Mandir to Chariot made of ancient stone</p> <p>West- Compartment no. 903, Ancient fort to Ancient Moti Kuwa</p> <p>North- Compartment no. 903, Ancient fort to Shankarji Mandir</p> <p>South- Compartment no. 903, Ancient Moti Kuwa to Chariot made of ancient stone</p>

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2016

क्रमांक/एफ-15-32/2016/10-2 :: भारतीय वन अधिनियम-1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम-2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम के नियम-03(1) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है।-

अनुसूची

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर)	सीमार्ये
1.	झाबुआ	झाबुआ	हाथीपावा पहाड़ी	आरक्षित वन-295, 297	110.48	पूर्व- झाबुआ शहर पश्चिम- कक्ष क्रमांक 295 उत्तर- कक्ष क्रमांक 297 दक्षिण- गांव आम्बाखोदरा
2.		झाबुआ	देवझिरी धार्मिक दार्शनिक स्थल	आरक्षित वन-301	94.33	पूर्व- ग्राम पिपलदेहला, देवझिरी पश्चिम- गांव मोहनपुरा उत्तर- बीट देवझिरी एवं मोहनपुरा दक्षिण- कक्ष क्रमांक 301

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2016

क्र. एफ-15-32-2016-दस-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-32-2016-दस-2, दिनांक 14 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 14th December 2016

No./F-15-32/2016/10-2 :: In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015. Under the sub-section 3(1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette.

Schedule

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment no.	Area (in Hact)	Boundaries
1.	Jhabua	Jhabua	Hathipawa Hill	RF-295, 297	110.48	East- Jhabua City West- Compartment no. 295 North- Compartment no. 297 South- Village Aambakhodra
2.		Jhabua	Devjhiri Religious Site	RF-301	94.33	East- Village Pipaldehla and Devjhiri. West- Village Mohanpura North- Beat Devjhiri & Mohanpura. South- Compartment no. 301

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2016

क्रमांक/एफ-15-33/2016/10-2 :: भारतीय वन अधिनियम-1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम-2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम के नियम-03 ग(1) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है।

अनुसूची

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर)	सीमार्ये
1.	इन्दौर	इन्दौर	तिन्हाफाल	आरक्षित वन-186	7.896	पूर्व- कक्ष क्रमांक 186 पश्चिम- राजस्व भूमि उत्तर- कक्ष क्रमांक 186 दक्षिण- कक्ष क्रमांक 186
2.		चोरल	मांडा देव	आरक्षित वन-159	3.596	पूर्व- कक्ष क्रमांक 159 पश्चिम- नदी उत्तर- कक्ष क्रमांक 156, 159 दक्षिण- कक्ष क्रमांक 159 एवं नदी
3.		चोरल	कजलीगढ़	आरक्षित वन-194	0.527	पूर्व- कक्ष क्रमांक 194 पश्चिम- कक्ष क्रमांक 194 उत्तर- कक्ष क्रमांक 194 दक्षिण- कक्ष क्रमांक 194
4.		महू	धजारा पहाड़	आरक्षित वन-79	3.077	पूर्व- कक्ष क्रमांक 79 पश्चिम- कक्ष क्रमांक 79 उत्तर- कक्ष क्रमांक 79 दक्षिण- कक्ष क्रमांक 79
5.		महू	बामनिया कुण्ड	आरक्षित वन-88	2.500	पूर्व- कक्ष क्रमांक 88 पश्चिम- कक्ष क्रमांक 88 उत्तर- कक्ष क्रमांक 88 दक्षिण- कक्ष क्रमांक 75
6.		महू	माता पार्वती मन्दिर	आरक्षित वन-52	2.755	पूर्व- कक्ष क्रमांक 52 पश्चिम- कक्ष क्रमांक 52, 27 उत्तर- कक्ष क्रमांक 52 दक्षिण- कक्ष क्रमांक 27, 52
7.		मानपुर	सीतलामाता वॉटर फॉल	आरक्षित वन-10, 29	2.990	पूर्व- कक्ष क्रमांक 29 पश्चिम- कक्ष क्रमांक 10 उत्तर- कक्ष क्रमांक 10, 29 दक्षिण- कक्ष क्रमांक 10, 29

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2016

क्र. एफ-15-33-2016-दस-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-33-2016-दस-2, दिनांक 14 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 14th December 2016

No./F-15-33/2016/10-2 :: In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015. Under the sub-section 3 (1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette.

Schedule

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment no.	Area (in Hact)	Boundaries
1.	Indore	Indore	Tinchafal	RF-186	7.896	East- Compartment no. 186 West- Revenue Area. North- Compartment no. 186 South- Compartment no. 186
2.		Choral	Manda Dev	RF-159	3.596	East-Compartment no. 159 West- River. North- Compartment no. 156, 159. South- Compartment no. 159 & River.
3.		Choral	Kajaligarh	RF-194	0.527	East-Compartment no. 194 West-Compartment no. 194 North- Compartment no. 194 South- Compartment no. 194
4.		Mhow	Dhajara Pahad	RF-79	3.077	East-Compartment no. 79 West-Compartment no. 79 North- Compartment no.79 South- Compartment no. 79
5.		Mhow	Bamniya Kund	RF-88	2.500	East-Compartment no. 88 West-Compartment no. 88 North- Compartment no.88 South- Compartment no. 75

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment no.	Area (in Hact)	Boundaries
6.		Mhow	Mata Parvati Mandir	RF-52	2.755	East-Compartment no. 52 West-Compartment no. 52,27 North- Compartment no.52 South- Compartment no. 27, 52
7.		Manpur	Sitalamata Water Fall	RF-10, 29	2.990	East-Compartment no. 29 West-Compartment no. 10 North-Compartment no.10,29 South-Compartment no. 10,29

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2016

क्रमांक: एफ 3-39/2016/तेरह, :: यतः, राज्य में नवीन उच्चदाब उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण कंपनियों के ग्रिड के साथ संयोजित होने के लिए प्रोत्साहित करने तथा औद्योगीकरण को प्रोन्नत करने के अनुक्रम में, ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-23-2013-तेरह, दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा नवीन उच्चदाब उपभोक्ताओं को अधिसूचना में वर्णित शर्तों पर तथा अधिसूचना की अनुसूची में दी गई कालावधि के लिए, ग्रिड से प्रदाय की गई विद्युत के उपभोग पर, विद्युत शुल्क के संदाय से छूट प्रदान की गई है।

2/ और, यतः, बड़ी संख्या में स्थानीय व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं को रोजगार के अवसर, वृहद् निवेश, स्थानीय कृषकों को उनके द्वारा उत्पादित कपास का समुचित मूल्य प्राप्त होने, निर्यात की व्यापक सम्भावनाओं तथा राज्य में टेक्सटाइल को फोकस सेक्टर का दर्जा दिए जाने के दृष्टिगत, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा उसके आदेश एफ-16-16-2014-बी-ग्यारह, दिनांक 04 अक्टूबर, 2014 द्वारा, मेसर्स ट्राइडेंट लिमिटेड द्वारा बुधनी, जिला सीहोर में रूपए 1400 करोड़ के निवेश से स्थापित किए जा रहे कम्पोजिट टेक्सटाइल प्लांट को कई सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसमें इकाई के विद्यमान विद्युत संयोजन के रूप में विद्युत भार में विस्तार को नवीन संयोजन मान्य करते हुए ऊर्जा विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.03.2014 के अधीन उपबंधों के अनुसार विद्युत शुल्क के संदाय से छूट भी सम्मिलित है।

3/ अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) की धारा 5 के खण्ड (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मेसर्स ट्राइडेंट लिमिटेड के कम्पोजिट टेक्सटाइल प्लांट में दिनांक 04.10.2014 को विद्यमान उच्चदाब संयोजन में भार वृद्धि को ऊर्जा विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.03.2014 के अधीन, विद्युत शुल्क के संदाय से छूट प्रदान करने के लिए वितरण कम्पनी के नवीन संयोजन के रूप में मान्य किया जाता है :

परन्तु यह कि विद्युत शुल्क के संदाय से यह छूट, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मेसर्स ट्राइडेंट लिमिटेड के उपरोक्त संयोजन को बेची या प्रदाय की गई विद्युत पर दिनांक 04.10.2014 को विद्यमान भार में केवल वृद्धि की सीमा तक ही उपलब्ध होगी।

4/ यह छूट दिनांक 04 अक्टूबर, 2014 से उपलब्ध होगी तथा अधिसूचना दिनांक 03.10.2024 तक प्रभावी रहेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुल धारीवाल, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Bhopal, the 15th December 2016

No. F-3/39/2016/XIII :- Whereas, in order to encourage new high-tension consumers to connect with the grid of Electricity Distribution Companies and to promote industrialisation in the State, Energy Department vide notification number F-3-23-2013-XIII dated 4th March, 2014 has granted exemption to new high-tension consumers from payment of electricity duty on consumption of electricity supplied from the grid on the conditions mentioned in the notification and for period given in the Schedule to the notification.

2. And whereas, in view of the opportunities of employment to a large number of local persons especially women, massive investment, local farmers getting appropriate value of cotton produced by them, huge opportunities for export and status of focus sector given to textile in the State, the Commerce, Industries and Employment Department vide its order No. F-16-16-2014-B-XI dated 4th October, 2014 has granted various facilities to the composite textile Plant of M/s Trident Limited being set up in Budhni, District Sehore with an investment of Rs. 1400 Crore, including recognition to enhancement of electrical load of the existing connection of the unit, as a new connection for grant of exemption from payment of Electricity Duty as per provisions under Energy Department's notification dated 4.03.2014.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (i) of Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhinyam, 2012 (No. 17 of 2012), the State Government, hereby, recognizes enhancement in load of the high tension connection of composite textile plant of M/s Trident Limited existing as on 4.10.2014, as a new connection of Distribution Company for grant of exemption from payment of electricity duty under Energy Department's notification dated 4.03.2014.

Provided that the exemption from payment of electricity duty shall be available on electricity sold or supplied by the Distribution Licensee to the above connection of M/s Trident Limited only to the extent of enhancement in the load, existing as on 4.10.2014.

4. This exemption shall be available from the 4th October, 2014 and the notification shall remain in force up to 3.10.2024.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. DHARIWAL, Officer on Special Duty.

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन),
डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

क्रमांक 2575-भू-अर्जन-2016

राजस्व प्रकरण क्रमांक-08-अ-82--2015-16
डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), दिनांक 3 दिसम्बर 2016

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 1329/भू-अर्जन/2016, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), दिनांक 17/06/2016 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम- सिरलाय, प0ह0नं0- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन, से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24.06.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	महू	सोनवाय प.ह.नं.- 02	413/1 ✓	0.053 ✓
			414/1 ✓	0.011 ✓
			414/2 ✓	0.044 ✓
			415/1/1	0.033 ✓
			415/1/2 ✓	0.035 ✓
			415/1/3 ✓	0.018 ✓
			416/1 ✓	0.013 ✓
			416/2 ✓	0.040 ✓
			417/1 ✓	0.077 ✓
			417/3 ✓	0.141 ✓
			419/1 ✓	0.051 ✓
			421/1 ✓	0.026 ✓
			424/2/1 ✓	0.057 ✓
			424/2/2 ✓	0.057 ✓
			420/1 ✓	0.097 ✓
			424/4 ✓	0.004 ✓
			425/1 ✓	0.040 ✓
			423 ✓	0.037 ✓
कुल योग			18	0.834

संदीप जी. आर., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन.

दिनांक 3 दिसम्बर 2016

स्थान-डॉ. अम्बेडकर नगर, महू.

क्रमांक 2576-भू-अर्जन-2016

राजस्व प्रकरण क्रमांक-10-अ-82-2015-16
डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), दिनांक 3 दिसम्बर 2016

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 1323/भू-अर्जन/2016, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), दिनांक 17/06/2016 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम- सिरलाय, प0ह0न0- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24.06.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	महू	पिगडम्बर प.ह.नं.- 03	121/1/1	0.026 ✓
			122/1	0.022 ✓
			171/1	0.007 ✓
			121/1/2	0.068 ✓
			120/1	0.008 ✓

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	महू	पिगडम्बर प.ह.नं.- 03	121/1/3	0.041 ✓
			123	0.035 ✓
			126/1	0.019 ✓
			170/1/2	0.016 ✓
			173/2/1/1	0.008 ✓
			126/2	0.062 ✓
			127/3/11	0.057 ✓
			170/2	0.031 ✓
			166/1/1	0.088 ✓
			180/1	0.037 ✓
			167	0.046 ✓
			168/1	0.040 ✓
			170/1/1	0.015 ✓
			173/2/2	0.044 ✓
			173/2/5	0.044 ✓
			173/1	0.077 ✓
			178/1	0.040 ✓
			180/4	0.075 ✓
			182/3	0.088 ✓
			183/1/1	0.064 ✓
			198/2/1	0.202 ✓
			214/2/2	0.055 ✓
			215/1	0.053 ✓
235	0.033 ✓			
236/1/2	0.015 ✓			
237/1	0.018 ✓			
241/1/2	0.017 ✓			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	महू	पिगडम्बर प.ह.नं.- 03	241/1/3	0.017 ✓
			241/1/4	0.011 ✓
			242	0.050 ✓
			243/4	0.053 ✓
			243/5/2	0.057 ✓
			214/2/1	0.066 ✓
			460/1	0.070 ✓
			468/2	0.075 ✓
			468/3	0.018 ✓
			468/4	0.022 ✓
			496/1	0.057 ✓
			499/2	0.075 ✓
			499/4	0.048 ✓
			517/1	0.037 ✓
			517/3	0.037 ✓
कुल योग			47	2.144

संदीप जी. आर., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन.

दिनांक 3 दिसम्बर 2016

स्थान-डॉ. अम्बेडकर नगर, महू.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी) गुना, मध्यप्रदेश

गुना, दिनांक 22 सितम्बर 2016

क्र. स्था.निर्वा-मंडी-2016-563.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति गुना, जिला गुना के वार्ड क्रमांक 07 (सात) के लिये माननीय न्यायालय आयुक्त, ग्वालियर संभाग-ग्वालियर, मध्यप्रदेश के द्वारा प्र. क्र. 05-13-मंडी-चुनाव याचिका में पारित आदेश दिनांक 5 सितम्बर 2016 तथा रिटर्निंग आफिसर (मंडी) कृषि उपज मंडी समिति, गुना द्वारा प्ररूप-28 जारी किये जाने से निम्नानुसार कृषक सदस्य घोषित किये गये हैं :-

क्रमांक	निर्वाचित सदस्य का नाम	पद जिसके लिये निर्वाचित हुए	पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	लाखन सिंह रघुवंशी	कृषक सदस्य वार्ड क्र.-7	ग्राम श्यामपुर, पोस्ट उकावद, तहसील व जिला गुना, मध्यप्रदेश.

राजेश जैन, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी).

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़ (ब्यावरा), दिनांक 15 दिसम्बर 2016

क्र. 10191-15-12-16-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्र. क्र. 201. —चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में पीपल्या सिंचाई परियोजना के निर्माण तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़ की ग्राम पीपल्या कलां के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है. चूंकि, इस लघु सिंचाई परियोजना में प्रभावित व्यक्तियों के विस्थापन एवं पुनर्वासन की आवश्यकता न होने के कारण सामाजिक समाघात रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है:—

अनुसूची (1)

पीपल्या सिंचाई परियोजना के बांध, वेस्टवियर एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि तहसील राजगढ़

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)		
		सिंचित	असिंचित	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	पीपल्या	1.130	4.475	5.605
	योग	1.130	4.475	5.605

अनुसूची (2)

पीपल्या तालाब के निर्माण में बांध, वेस्टवियर एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव ग्राम पीपल्या

स. क्र.	भू-स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)	कुल प्रभावित भूमि (हेक्टर में)		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	किशना, मानसिंह पिता गोदड़ जाति लोड़ नि. ग्राम भूमि स्वामी.	16 23 26	0.949 1.176 0.860	0.000 0.000 0.700	0.416 0.942 0.000	0.416 0.942 0.700
2	गुलाब पिता लाला जाति गुर्जर नि. ग्राम भूमि स्वामी.	20	0.342	0.000	0.312	0.312
3	नन्दू विधवा धन्ना, धापू, रोडी शांति पुत्री धन्ना रामा, चंदा पिता गोपीलाल जाति चमार, नि. ग्राम भूमि	27	1.075	0.430	0.000	0.430
4	नाथू पिता शंकर जाति लोड़ा नि. ग्राम भूमि स्वामी.	210/6	1.644	0.000	0.725	0.725
5	रमकू पुत्री भेरू जाति लोड़ा नि. ग्राम भूमि स्वामी.	210/7	4.553	0.000	2.080	2.080

2. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़, तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरूण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

क्रमांक 17354-सा.लि.-16.

नरसिंहपुर, दिनांक 20 दिसम्बर, 2016

नवीन स्वीकृत थाना डोंगरगांव की अधिसूचना जारी करने के संबंध में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2(क)-10-2015-बी-3/दो, दिनांक 23 नवम्बर 2016 के द्वारा नवीन थाना डोंगरगांव की स्वीकृति प्रदान की गई है, इस हेतु अधिसूचना जारी की जाना प्रस्तावित है, म. प्र. शासन पुलिस विभाग के पत्र क्रमांक-पुमु-18-योजना-3-767-2013, दिनांक 10 अगस्त 2013 के अंतर्गत प्राप्त निर्देश अनुसार जिलाधीश नरसिंहपुर, पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर, जिला अभियोजन अधिकारी नरसिंहपुर के द्वारा नवीन स्वीकृत थाना डोंगरगांव की अधिसूचना जारी करने के संबंध में ग्रामों/क्षेत्रों का निर्धारण कर अनुशंसा भेजने हेतु एक संयुक्त बैठक दिनांक 16 दिसम्बर 2016 को कार्यालय, कलेक्टर, नरसिंहपुर में आयोजित की गई, इस संयुक्त बैठक में निम्नलिखित में निर्णय लिये गये :-

नवीन स्वीकृत थाना डोंगरगांव में एन. टी. पी. सी. द्वारा 3200 मेगावाट का पावर प्लांट तैयार किये जाने का निर्माण कार्य प्रगति पर है. इस मेगावाट प्लांट 1600 मेगावाट का उत्पादन वर्ष 2016 में प्रारंभ होकर शेष 1600 मेगावाट का प्लांट 2018 तक तैयार होना निर्धारित है. इस बड़े प्लांट में हजारों की संख्या में विभिन्न स्तर के अधिकारी/कर्मचारी बाहरी राज्यों से अपनी सेवाएं देने आ रहे हैं. विगत माहों में एक हत्या सह बलात्कार एवं दो प्रकरणों में बड़ी लूट के अभियुक्त इसी प्लांट में दूसरे राज्य से आये ठेके पर कार्य करने वाले कर्मचारी पकड़े गये हैं. पावर प्लांट की आवासीय कालोनियां तैयार हो रही हैं. कार्य की प्रगति का आंकलन करने के लिये समय-समय पर हवाई मार्ग से इनके वरिष्ठ अधिकारियों/विशेषज्ञों का आना जाना बना रहता है जिससे स्थानीय स्तर पर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की डियूटियां लगातार बढ़ रही हैं. पावर प्लांट के निर्माण कार्य एवं उपरोक्त गतिविधियों को देखते हुये ग्राम डोंगरगांव में नवीन थाना स्वीकृत कर स्थापित किया जाना अतिआवश्यक है.

नवीन स्वीकृत थाना डोंगरगांव में थाना चीचली के 25 ग्राम, थाना गाडरवारा 05 के ग्राम एवं थाना करेली के 10 ग्राम को अपवर्णित किया जाना है. अपवर्णित ग्रामों की सीमाओं को शासन की ओर अधिसूचना जारी करने हेतु प्रस्ताव भेजने संबंधी निर्णय लिया गया. जिन ग्रामों को अपवर्णित किया जाना है उनकी सूची संलग्न है.

नवीन स्वीकृत थाना डोंगरगांव में सम्मिलित ग्रामों एवं कालोनियों की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की जानकारी

क्रमांक (1)	ग्राम/कालोनियों के नाम (2)	जनसंख्या (3)	क्षेत्रफल(हेक्टेयर में) (4)	बंदोबस्त नंबर (5)	वार्ड नंबर (6)
	थाना चीचली के गांव जो नवीन स्वीकृत थाना डोंगरगांव में अपवर्णित किया जाना है.	14850	80 वर्ग कि. मी.	-	-
1	डोंगरगांव	1200			
2	चोर बरहटा	960			
3	मेहराखेड़ा	421			
4	उमरिया	246			
5	कुड़ारी	354			
6	रायपुर	1286			
7	चांदनखेड़ा (डगहा)	1365			
8	जैथारी	356			
9	खला	420			
10	पापरा	430			
11	शेसाडावर	365			
12	बांदरबरू	620			
13	बाघाकुड़ी	432			
14	उकरी	354			
15	छापरगांव	346			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	पटकुही	450			
17	किरहकोटा	312			
18	प्रेमपुर	1050			
19	हीरापुर	1480			
20	छैनाकछार	580			
21	डोंगराखोह	360			
22	छींदखेड़ा	560			
23	कोटरी	320			
24	हींगपानी	250			
25	भिलमाढाना	570			
	थाना गाडरवारा के ग्राम जो नवीन स्वीकृत	5748	-	-	-
	थाना डोंगरगांव में अपवर्णित किया जाना है.				
1	घूरपुर	1211			
2	बरेली खुर्द	842			
3	घाट पिपरिया	1557			
4	कजरोटा	908			
5	नरसरा	1230			
	थाना करेली के ग्राम जो नवीन स्वीकृत थाना	9409	-	-	-
	डोंगरगांव में अपवर्णित किया जाना है.				
1	कल्याणपुर	3100			
2	इमलिया	1957			
3	सर्ग	592			
4	वीजनपुर	610			
5	भैरापुर	797			
6	सिल्हेटी	697			
7	बरखेड़ा	340			
8	बेलखेड़ी	597			
9	निभौरा	494			
10	पिपरिया टोला	225			

सारणी

पुलिस थाने का नाम तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्णित किया गया है	ग्रामों एवं कालोनियां क्षेत्रों के नाम	पुलिस थाने का नाम/तहसील जिला सहित जिसमें सम्मिलित किया गया है
(1)	(2)	(3)
थाना चीचली, थाना गाडरवारा एवं थाना करेली के कुछ ग्राम जिन्हें नवीन स्वीकृत थाना डोंगरगांव में अपवर्णित किया गया है	थाना चीचली के ग्राम-25 थाना गाडरवारा के ग्राम-5 थाना करेली के ग्राम-10	नवीन स्वीकृत थाना डोंगरगांव में उक्त गांव सम्मिलित किये गये हैं

3. बैठक का कार्यवंत तथा निर्धारित प्रारूप में अधिसूचना जारी करने हेतु प्रस्ताव जिलाधीश नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर एवं जिला अभियोजन अधिकारी नरसिंहपुर द्वारा संयुक्त प्रस्ताव में भेजे जाने का निर्णय लिया गया.

हस्ता./-
(विनोद परोहा)
जिला अभियोजना अधिकारी,
नरसिंहपुर.

हस्ता./-
(मुकेश कुमार श्रीवास्तव)
पुलिस अधीक्षक,
नरसिंहपुर.

हस्ता./-
(डॉ. आर. आर. भोंसले)
जिला दण्डाधिकारी,
नरसिंहपुर.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973-1974 का सरल क्रमांक-2 की धारा 2 खण्ड एस एवं शासन के आदेश क्रमांक एफ 2(क)-19-2012-बी-3-दो, दिनांक 8 अगस्त 2013 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपांतरण करते हुये, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से :-

एक—नीचे दी सारणी के कालम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम नं. (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों का अपवर्जित करती है.

दो— सारणी के कालम नंबर (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम नंबर (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है.

सारणी

पुलिस थाने का नाम, तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्णित किया गया है (1)	ग्रामों एवं कालोनियां क्षेत्रों के नाम (2)	पुलिस थाने का नाम/तहसील जिला सहित जिसमें से सम्मिलित किया गया है (3)
थाना चीचली, थाना गाडरवारा एवं थाना करेली के कुछ ग्राम जिन्हें नवीन स्वीकृत थाना डोंगरगांव में अपवर्णित किया गया है	थाना चीचली के ग्राम-25 थाना गाडरवारा के ग्राम-5 थाना करेली के ग्राम-10	नवीन स्वीकृत थाना डोंगरगांव में उक्त गांव सम्मिलित किये गये हैं

No. F-2(K)2-08-B-3-Two.—In exercise of the powers conferred by clause (s) Section-2 of the code of criminal procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police) Department Order No. F2(k)-19-2012-B-3-2, Bhopal, dated 8th August 2013 in partial modification of the previous Notification affecting the local areas specified in the table below the State Government, hereby with effect from date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette" :-

1. Excludes from the Police Station mentioned in the column (1) of the table below the Local areas specified in the column (2) thereof and
2. Includes of the Local areas specified in the column (2) of the said Table in the Police Station mentioned in column (3) of the said Table :—

TABLE

Name of Police Station {with tehsil and the District from which excluded (1).} (1)	Name of the Village/ Local Areas (2)	Name of Police Station (with tehsil and the District) from which in.excluded (3)
PS CHICHALI, PS GADARWARA & PS KARELI.	PS-CHICHALI-25 GRAM PS GADARWARA-05 GRAM PS KARELI-GRAM-10 GRAM.	NEW SANCTIONED POLICE STATION DONGARGAON.

Name of the/Ward No. Settlement No. Local Areas

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. आर. भोंसले, जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

क्रमांक 17356-सा.लि.-16.

नरसिंहपुर, दिनांक 20 दिसम्बर, 2016

थाना नरसिंहपुर की पुलिस चौकी स्टेशन गंज का उन्नयन थाना स्टेशन गंज नरसिंहपुर की अधिसूचना जारी करने के संबंध में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2(क)-10-2015-बी-3-दो, दिनांक 23 नवम्बर 2016 के द्वारा थाना नरसिंहपुर की चौकी स्टेशन गंज कंदेली का उन्नयन कर थाना स्टेशन गंज नरसिंहपुर की स्वीकृति प्रदान की गई है, इस हेतु अधिसूचना जारी की जाना प्रस्तावित है, म. प्र. शासन पुलिस विभाग के पत्र क्रमांक-पुमु-18-योजना-3-767-2013 दिनांक 10 अगस्त 2013 के अंतर्गत प्राप्त निर्देश अनुसार जिलाधीश नरसिंहपुर, पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर, जिला अभियोजन अधिकारी नरसिंहपुर के द्वारा थाना नरसिंहपुर की चौकी स्टेशन गंज कंदेली का उन्नयन कर थाना स्टेशन गंज नरसिंहपुर हेतु अधिसूचना जारी करने के संबंध में ग्रामों/क्षेत्रों का निर्धारण कर अनुशंसा भेजने हेतु एक संयुक्त बैठक दिनांक 16 दिसम्बर 2016 को कार्यालय कलेक्टर नरसिंहपुर में आयोजित की गई, इस संयुक्त बैठक में निम्नलिखित में निर्णय लिये गये :-

थाना नरसिंहपुर की पुलिस चौकी स्टेशन गंज कंदेली को थाने में उन्नयन किये जाने का ठोस औचित्य यह है कि चौकी क्षेत्र में 41 गांव एवं दो नगर के महत्वपूर्ण वार्ड हैं। चौकी क्षेत्र में 50 हजार से अधिक आबादी है। जिले का अत्यन्त व्यस्ततम रेल्वे स्टेशन इस क्षेत्र में आता है। जिसमें रोजाना 5 से 7 हजार यात्रियों का आवागमन होता है। शहर एवं जिले का मुख्य बस स्टैण्ड भी इसी चौकी क्षेत्र में स्थित है जिसमें रोजाना 150 से अधिक बसों का आवागमन होता है। जिले की महत्वपूर्ण होटल, लाज भी इसी चौकी क्षेत्र में है। कृषि मंडी भी इसी चौकी क्षेत्र में है जिसमें रोजाना 100 से 150 ट्रेक्टर का आवागमन होता है जिससे काफी अव्यवस्था उत्पन्न होती है। इस प्रकार मुसाफिर का आवागमन, हाइवे एक्सीडेंट, ट्रेन से एक्सीडेंट तथा लड़ाई झगड़ा और संपत्ति संबंधी अपराधों पर नियंत्रण हेतु चौकी का थाने में उन्नयन किया जाना आवश्यक था। थाना स्टेशन गंज कंदेली नरसिंहपुर में चौकी सिंहपुर को जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार स्टेशन गंज थाना प्रभार में चौकी सिंहपुर रहेगी जो कि पूर्व में थाना कोतवाली की चौकी थी। चौकी सिंहपुर के अंतर्गत 40 ग्राम/वार्ड हैं। जिसका क्षेत्रफल 610 वर्ग कि. मी. है एवं जनसंख्या 65,000 है।

चौकी स्टेशन गंज कंदेली नरसिंहपुर के जिन गांवों को थाना स्टेशन गंज कंदेली थाने में एवं चौकी सिंहपुर के जिन गांवों को थाना स्टेशन गंज कंदेली नरसिंहपुर में अपवर्णित करने का निर्णय लिया गया है उन्हें शासन को अधिसूचना जारी करने हेतु प्रस्ताव भेजने संबंधी निर्णय लिया गया।

प्रस्तावित थाना नरसिंहपुर की पुलिस चौकी स्टेशन गंज का उन्नयन थाना स्टेशन गंज नरसिंहपुर के ग्रामों एवं कालोनियों की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल एवं उन्नयित थाना स्टेशन गंज कंदेली में सम्मिलित चौकी सिंहपुर के ग्रामों एवं कालोनियों की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की जानकारी

क्रमांक (1)	ग्राम/कालोनियों के नाम (2)	जनसंख्या (3)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)	बंदोबस्त नंबर (5)	वार्ड नंबर (6)
	थाना नरसिंहपुर की पुलिस चौकी स्टेशन गंज के ग्राम	50000	-	-	-
1	कृष्णा वार्ड				
2	गयादत्तवार्ड				
3	नकटुआ				
4	मगरघा				
5	रोंसरा				
6	खमतरा				
7	अंडिया				
8	करहैयखेड़ा				
9	खमरिया				
10	डोंगरगांव				
11	झिरीकला				
12	सूरजगांव				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	पांसी				
14	पांजरा				
15	डोकरघाट				
16	सेमरा				
17	भरवारा				
18	बहोरीपार				
19	सहपुरा				
20	लुरहेटा				
21	यामखेड़ा				
22	बहादुरपुर				
23	सिहोरा				
24	करहैया				
25	अगरिया				
26	महुआखेड़ा				
27	चीलाचोंद खुर्द				
28	चीलाचोंद कुला				
29	खुरपा बड़ा				
30	सावरानी				
31	समनापुर				
32	महमदपुर				
33	सलैया				
34	चौराखेड़ा				
35	मुरलीपोंडी				
36	बागपोंडी				
37	हनुमत पोंडी				
38	बैहरपोडी				
39	डांगीधाना				
40	सूखाहार				
41	सिग्रामपुर				
42	मुड़िया				
चौकी सिंहपुर के ग्राम		65000	610 वर्ग कि. मी.	-	-
1	सिंहपुर				
2	करताज				
3	जल्लापुर				
4	दरांजपुर				
5	हिनोतिया				
6	रमखिरिया				
7	करैया खेड़ा				
8	कपूरी				
9	धुवघट				
10	मैनाबारी				
11	पिपरिया				
12	बाँसकुवारी				
13	रानी पिपरिया				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	झगरहाई				
15	नवलगांव				
16	कोदसा				
17	लोलीपार				
18	मचला				
19	माचामड				
20	कोडा				
21	पाला				
22	भैंसा				
23	जैतपुर				
24	बरखेड़ा				
25	सिमरिया				
26	कल्याणपुर				
27	बारूरेवा				
28	झारखुरपा				
29	बाहोरी पार खुर्द				
30	भूप पिपरिया				
31	धवई				
32	गंगई				
33	बडगुंवा				
34	किसलई				
35	बरपानी				
36	पीपरपानी				
37	कुकवारा				
38	कठोतिया				
39	नयाखेड़ा				
40	गढ़पहरा				

सारणी

पुलिस थाने का नाम तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया है	ग्रामों एवं कालोनियां क्षेत्रों के नाम	पुलिस थाने का नाम/तहसील जिला सहित जिसमें सम्मिलित किया गया है
(1)	(2)	(3)
जिला नरसिंहपुर, थाना नरसिंहपुर की चौकी स्टेशन गंज कंदेली का उन्नयन कर थाना स्टेशन गंज कंदेली नरसिंहपुर स्वीकृत किया गया है	चौकी स्टेशन के ग्राम-42 चौकी सिंहपुर के ग्राम-40	पुलिस चौकी स्टेशन गंज का उन्नयन कर थाना स्टेशन गंज कंदेली नरसिंहपुर में किया जाकर चौकी सिंहपुर को थाना स्टेशन गंज में सम्मिलित किया गया है.

3. बैठक का कार्यवत तथा निर्धारित प्रारूप में अधिसूचना जारी करने हेतु प्रस्ताव जिलाधीश नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर एवं जिला अभियोजन अधिकारी नरसिंहपुर द्वारा संयुक्त प्रस्ताव में भेजे जाने का निर्णय लिया गया.

हस्ता./-

(श्री विनोद परोहा)
जिला अभियोजन अधिकारी
नरसिंहपुर.

हस्ता./-

(श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव)
पुलिस अधीक्षक
नरसिंहपुर.

हस्ता./-

(डॉ. आर. आर. भोंसले)
जिला दण्डाधिकारी
नरसिंहपुर.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973-1974 का सरल क्रमांक-2 की धारा 2 खण्ड एस एवं शासन के आदेश क्रमांक एफ 2(क)-19-2012-बी-3-दो, दिनांक 8 अगस्त 2013 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपांतरण करते हुये राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से :-

एक—नीचे दी सारणी के कालम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम नं. (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों का अपवर्जित करती है.

दो— सारणी के कालम नंबर (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम नंबर (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है.

सारणी

पुलिस थाने का नाम-तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया है (1)	ग्रामों एवं कालोनियां क्षेत्रों के नाम (2)	पुलिस थाने का नाम/तहसील जिला सहित जिसमें सम्मिलित किया गया है (3)
जिला नरसिंहपुर, थाना नरसिंहपुर की चौकी स्टेशन गंज कंदेली का उन्नयन कर थाना स्टेशन गंज कंदेली नरसिंहपुर स्वीकृत किया गया है.	1. चौकी स्टेशन के ग्राम-42 2. चौकी सिंहपुर के ग्राम-40	पुलिस चौकी स्टेशन गंज का उन्नयन कर थाना स्टेशन गंज कंदेली नरसिंहपुर में किया जाकर चौकी सिंहपुर के थाना स्टेशन गंज में सम्मिलित किया गया है

No. F-2(K)2-08-B-3-Two.—In exercise of the powers conferred by clause (s) Section-2 of the code of criminal procedure 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police) Department Order No. F2(k)-19-2012-B-3-2, Bhopal, dated 8th August 2013 in partial modification of the previous Notification affecting the local areas specified in the Table below the state Government, hereby with effect from date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette" :-

1. Excludes from the Police Station mentioned in the column (1) of the table below the Local areas specified in the column (2) thereof and
2. Includes of the Local areas specified in the column (2) of the said Table in the Police Station mentioned in column (3) of the said Table :—

TABLE

Name of Police Station {with tehsil and the District from which excluded (1)} (1)	Name of the Village/ Local Areas (2)	Name of Police Station (with tehsil and the District from which excluded (3)) (3)
POLICE STATION, NARSINGHPUR, DISTRICT NARSINGHPUR	CHOUKI STATION VILLAGE-42 CHOUKI SINGHPUR VILLAGE-40	POLICE STATION NARSINGHPUR UPGRADE OP STATION GUNJ KANDELI NARSINGHPUR ADD TO SINGHPUR CHOUKI

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. आर. भोंसले, जिला दण्डाधिकारी,

कार्यालय, जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

क्रमांक 17358-सा.लि.-16.

नरसिंहपुर, दिनांक 20 दिसम्बर, 2016

नवीन अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) गोटेगांव का पद एवं बल स्वीकृति की अधिसूचना जारी करने के संबंध में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2(क)-10-2015-बी-3-दो, दिनांक 23 नवम्बर 2016 के द्वारा नवीन अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) गोटेगांव का पद एवं बल की स्वीकृति प्रदान की गई है, इस हेतु अधिसूचना जारी की जाना प्रस्तावित है, म. प्र. शासन पुलिस विभाग के पत्र क्रमांक-पुमु-18-योजना-3-767-2013 दिनांक 10-08-2013 के अंतर्गत प्राप्त निर्देश अनुसार जिलाधीश नरसिंहपुर, पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर, जिला अभियोजन अधिकारी नरसिंहपुर के द्वारा नवीन अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) गोटेगांव का पद एवं बल स्वीकृत किये जाने से अधिसूचना जारी करने के संबंध में अनुविभाग के प्रभार थानों का निर्धारण कर अनुशंसा भेजने हेतु एक संयुक्त बैठक दिनांक 16 दिसम्बर 2016 को कार्यालय कलेक्टर नरसिंहपुर में आयोजित की गई, इस संयुक्त बैठक में निम्नलिखित में निर्णय लिये गये :-

नवीन अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) गोटेगांव का पद एवं बल की स्वीकृति का औचित्य इसीलिये है क्योंकि जिला नरसिंहपुर के अंतर्गत गोटेगांव की सीमा एवं जिला जबलपुर तथा सिवनी से लगी होने, राजनैतिक रूप संवेदनशील होने, झोतेश्वर में जगतगुरु शंकराचार्य का मठ होने पर आए दिन व्हीआईपी / व्हीव्ही आई पी के आगमन अदि के परिप्रेक्ष्य में गोटेगांव में नवीन अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) का कार्यालय स्वीकृत होना अनिवार्य है इस कारण से थाना गोटेगांव, चौकी झोतेश्वर, थाना ठेमी एवं थाना मुंगवानी को अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) नरसिंहपुर से अलग कर नवीन स्वीकृत अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) गोटेगांव में अपवर्णित किये जाने का बैठक में विचार किया गया है.

जिन थानों को अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) नरसिंहपुर से पृथक कर नवीन स्वीकृत अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कार्यालय गोटेगांव, में अपवर्णित किया जाना है निम्न तालिका में संयुक्त बैठक में निर्णय होने के उपरान्त वर्णित विचार किये जा रहे हैं.

नवीन अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) गोटेगांव का पद एवं बल स्वीकृति उपरान्त इसमें सम्मिलित थानों / चौकियों की जानकारी

क्रमांक (1)	थानों के नाम (2)	जनसंख्या (3)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)	बंदोबस्त नंबर (5)	वार्ड नंबर (6)
1	थाना गोटेगांव	-	-	-	-
2	चौकी झोतेश्वर	-	-	-	-
3	थाना ठेमी	-	-	-	-
4	थाना मुंगवानी	-	-	-	-

सारणी

अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कार्यालय का नाम जिससे अपवर्णित किया गया है (1)	थानों के नाम (2)	अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कार्यालय का नाम जिसमें सम्मिलित किया गया है (3)
जिला नरसिंहपुर के अनुविभागीय (पुलिस) नरसिंहपुर के प्रभार के थानों को नवीन स्वीकृत अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) गोटेगांव में अपवर्णित किया गया है	1 थाना गोटेगांव 2 चौकी झोतेश्वर 3 थाना ठेमी 4. थाना मुंगवानी	नवीन स्वीकृत अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) गोटेगांव में सम्मिलित किया गया है

3. बैठक का कार्यवृत्त तथा निर्धारित प्रारूप में अधिसूचना जारी करने हेतु प्रस्ताव जिलाधीश नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर एवं जिला अभियोजन अधिकारी नरसिंहपुर द्वारा संयुक्त प्रस्ताव में भेजे जाने का निर्णय लिया गया.

हस्ता./-

(विनोद परोहा)

जिला अभियोजना अधिकारी,
नरसिंहपुर.

हस्ता./-

(श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव)

पुलिस अधीक्षक,
नरसिंहपुर.

हस्ता./-

(डॉ. आर. आर. भोंसले)

जिला दण्डाधिकारी,
नरसिंहपुर.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973-1974 का सरल क्रमांक-2 की धारा 2 खण्ड एस एवं शासन के आदेश क्रमांक एफ 2(क)-19-2012-बी-3-दो, दिनांक 8 अगस्त 2013 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपांतरण करते हुये राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से :-

एक—नीचे दी सारणी के कालम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम नं. (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों का अपवर्जित करती है.

दो— सारणी के कालम नंबर (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम नंबर (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है.

सारणी

अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कार्यालय का नाम जिससे अपवर्णित किया गया है (1)	थानों के नाम (2)	अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कार्यालय का नाम जिसमें सम्मिलित किया गया है (3)
जिला नरसिंहपुर, के अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) नरसिंहपुर के प्रभार के थानों को नवीन स्वीकृत अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) गोटेगांव में अपवर्णित किया गया है.	1 थाना गोटेगांव 2 चौकी झोंतेश्वर 3 थाना टेमी 4 थाना मुंगवानी	नवीन स्वीकृत अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) गोटेगांव में सम्मिलित किया गया है

No. F-2(K)2-08-B-3-Two.—In exercise of the powers conferred by clause (s) Section-2 of the code of criminal procedure 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police) Department Order No. F2(k)-19-2012-B-3-2, Bhopal, dated 8th August 2013 in partial modification of the previous Notification affecting the local areas specified in the table below the State Government, hereby with effect from date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette" :-

1. Excludes from the Police Station mentioned in the column (1) of the table below the Local areas specified in the column (2) there of and
2. Includes of the Local areas specified in the column (2) of the said Table in the Police Station mentioned in column (3) of the said Table :-

TABLE

Name of Police Station [with tehsil and the District from which excluded (1)]	Name of the Village/ Local Areas	Name of Police Station (with tehsil and the district from which included (3)
(1)	(2)	(3)
SDOP OFFICE NARSINGHPUR, DISTRICT NARSINGHPUR	PS - GOTEGOAN OP JHONTESHWAR PS THEMI PS MUNGWANI	NEW SAINCTION SDOP OFFICE GOTEGAON

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. आर. भोंसले, जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी, जिला देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 6 दिसम्बर 2016

क्र. 3621-एसडब्ल्यू-एफ-29-16.—पुलिस अधीक्षक देवास का पत्र क्रमांक डीपीओ-देवास-एसी-6887-16, देवास, दिनांक 29 नवम्बर 2016 के अनुसार जिले के भीतर थानों/चौकियों का परिसीमन जन सुविधाओं एवं प्रशासकीय सुविधाओं के अनुरूप किये जाने हेतु जिले स्तर पर गठित समिति द्वारा थाना कन्नौद के 5 ग्राम को थाना खातेगांव क्षेत्र में लिये जाने का निर्णय लिया गया है। मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ-2(क)15-99-बी-3-दो, भोपाल दिनांक 11 अक्टूबर 2004 के प्रावधान अनुसार जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमा का अधिकार/परिसीमन निर्धारण करने के अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं।

अतः, मैं, आशुतोष अवस्थी, जिला दण्डाधिकारी, जिला देवास, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973-1974 का स-2 की धारा 2 के खण्ड एस. द्वारा प्रदत्त शक्तियों को अमल में लाते हुए निम्नांकित अनुसूची में वर्णित देवास जिला अन्तर्गत अनुभाग कन्नौद-खातेगांव के पुलिस थाना क्षेत्र कन्नौद के 5 ग्राम जन सुविधाओं एवं प्रशासकीय सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए परिसीमन संबंधी प्रस्ताव की अधिसूचना जारी करता हूँ:—

क्र.	ग्राम का नाम,	वर्तमान थाने का नाम व क्षेत्रफल	वर्तमान थाने से दूरी व दिशा	प्रस्तावित थाने का नाम व क्षेत्रफल	प्रस्तावित थाने से गांव की दूरी व दिशा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ओलम्बा	कन्नौद 255 वर्ग मील	13 किमी, उत्तर—पूर्व दिशा	खातेगांव 275 वर्ग मील	16 किमी पश्चिम दिशा
2	डिडाली	कन्नौद 255 वर्ग मील	12 किमी, उत्तर—पूर्व दिशा	खातेगांव 275 वर्ग मील	12 किमी उत्तर- पश्चिम दिशा
3	बरवई	कन्नौद 255 वर्ग मील	13 किमी, पूर्व दिशा	खातेगांव 275 वर्ग मील	09 किमी पश्चिम दिशा
4	बरवई खेड़ा	कन्नौद 255 वर्ग मील	14 किमी, पूर्व दिशा	खातेगांव 275 वर्ग मील	08 किमी पश्चिम दिशा
5	सिराल्या बुजुर्ग	कन्नौद 255 वर्ग मील	09 किमी, उत्तर-पूर्व दिशा	खातेगांव 275 वर्ग मील	20 किमी पश्चिम दिशा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष अवस्थी, जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,

जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 7 दिसम्बर 2016

क्र. 1742-49-7-जागीर-2016.—बंधक श्रमिक प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, अनिल सुचारी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला विदिशा, जिला एवं उपखण्डों के लिये सतर्कता समितियों का गठन निम्नानुसार करता हूँ:—

जिला स्तरीय सतर्कता समिति, विदिशा

धारा 13 की उपधारा 2 (क) के अधीन —

अध्यक्ष

जिला दण्डाधिकारी, विदिशा

धारा 13 की उपधारा 2 (ख) के अधीन —

सदस्य

1. श्रीमती सुनीता सोनकर

2. श्रीमती गुडडीबाई, विदिशा
3. श्री हरिसिंह सप्रे, कुरवाई

धारा 13 की उपधारा 2 (ग) के अधीन —

सदस्य

1. डॉ. नवीन शर्मा, विदिशा
2. डॉ. (श्रीमति) तरूणा सक्सैना, विदिशा

धारा 13 की उपधारा 2 (घ) के अधीन —

सदस्य

1. पुलिस अधीक्षक, विदिशा
2. मुख्य कार्यपालन अधि., जिला पंचायत विदिशा.
3. जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग, विदिशा

धारा 13 की उपधारा 2 (ङ) के अधीन —

सदस्य

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., विदिशा.

(1) विदिशा जिले के उपखण्ड—विदिशा

धारा 13 की उपधारा 3 (क) के अधीन —

अध्यक्ष

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विदिशा

धारा 13 की उपधारा 3 (ख) के अधीन —

सदस्य

1. श्री कमलेश अहिरवार
2. श्री संदीप गोहर
3. श्रीमति अरूणा मांझी

धारा 13 की उपधारा 3 (ग) के अधीन —

सदस्य

1. श्री अतुल शाह
2. श्री सोहेल अहमद

धारा 13 की उपधारा 3 (घ) के अधीन —

सदस्य

1. नगर पुलिस अधीक्षक, विदिशा
2. मुख्य कार्यपालन अधि., जनपद पंचायत, विदिशा.
3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विदिशा

धारा 13 की उपधारा 3 (ङ) के अधीन —

सदस्य

1. प्रबंधक, एच. डी. एफ. सी. बैंक, विदिशा

धारा 13 की उपधारा 3 (च) के अधीन —

सदस्य

1. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, तहसील विदिशा.
2. विदिशा जिले के उपखण्ड—लटेरी

धारा 13 की उपधारा 3 (क) के अधीन —

अध्यक्ष

उपखण्ड मजिस्ट्रेट (राजस्व), लटेरी

धारा 13 की उपधारा 3 (ख) के अधीन —

सदस्य

1. श्री रघुवीर पिता वल्ला
2. श्री रमेश पंथी
3. श्रीमती कविता पत्नी रामपाल

धारा 13 की उपधारा 3 (ग) के अधीन —

सदस्य

1. श्री गिरीराज अग्रवाल
2. श्री रमेश ठाकरे

धारा 13 की उपधारा 3 (घ) के अधीन —

सदस्य

1. मुख्य कार्यपालन अधि., जनपद पंचायत, लटेरी
2. विकासखण्ड अधिकारी (कृषि), लटेरी
3. एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी, लटेरी

धारा 13 की उपधारा 3 (ङ) के अधीन —

सदस्य

1. प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लटेरी

धारा 13 की उपधारा 3 (च) के अधीन —

सदस्य

1. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी तहसील, लटेरी
3. विदिशा जिले के उपखण्ड—सिरोंज

धारा 13 की उपधारा 3 (क) के अधीन —

अध्यक्ष

उपखण्ड मजिस्ट्रेट (राजस्व), सिरोंज

धारा 13 की उपधारा 3 (ख) के अधीन —

सदस्य

1. श्री अमोल सिंह जाटव, निवासी मलसीपुर सिरोंज
2. श्रीमती गजरी बाई पत्नी गजराज सिंह महुआखेड़ा पृथ्वीराज सिरोंज.
3. श्री दौलत सिंह नायक, ग्राम गंगाखेड़ीखुर्द.

धारा 13 की उपधारा 3 (ग) के अधीन —

सदस्य

1. श्री रामचरण शाक्य, वार्ड नं. 5, कस्बा सिरोंज
2. श्री बारेलाल सेहरिया ग्राम भूकरी पंचा, पैकोली

धारा 13 की उपधारा 3 (घ) के अधीन —

सदस्य

1. मुख्य कार्यपालन अधि., जनपद पंचायत, सिरोंज
2. खण्ड पंचायत अधिकारी, सिरोंज
3. नगर निरीक्षक (पु.), सिरोंज

धारा 13 की उपधारा 3 (ङ) के अधीन —

सदस्य

1. प्रबंधक, यूनियन बैंक, शाखा सिरोंज

धारा 13 की उपधारा 3 (च) के अधीन —

सदस्य

1. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, तहसील सिरोंज.
4. विदिशा जिले के उपखण्ड—कुरवाई

धारा 13 की उपधारा 3 (क) के अधीन —

अध्यक्ष

उपखण्ड मजिस्ट्रेट (राजस्व), कुरवाई

धारा 13 की उपधारा 3 (ख) के अधीन —

सदस्य

1. श्री मूलचंद पिता सुखलाल चिड़ार ग्राम, मनेसा, कुरवाई
2. श्री प्राण सिंह पिता कन्हेदी लाल अहिरवार, ग्राम रूसिया कुरवाई.
3. श्रीमती गेंदाबाई पत्नी राजू सहरिया, नि., काछी, कुमरिया

धारा 13 की उपधारा 3 (ग) के अधीन —

सदस्य

1. श्री विमल कुमार जैन, निवासी पठारी
2. श्री अनीश नि. तलापाट

धारा 13 की उपधारा 3 (घ) के अधीन —

सदस्य

1. मुख्य कार्यपालन अधि., जनपद पंचायत, कुरवाई
2. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, कुरवाई
3. क. नि. अ. अधिकारी, कुरवाई.

धारा 13 की उपधारा 3 (ङ) के अधीन —

सदस्य

1. प्रबंधक, यूबीआई, शाखा कुरवाई

धारा 13 की उपधारा 3 (च) के अधीन —

सदस्य

1. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, तहसील कुरवाई
5. विदिशा जिले के उपखण्ड—नटेरन

धारा 13 की उपधारा 3 (क) के अधीन —

अध्यक्ष

उपखण्ड मजिस्ट्रेट (राजस्व), नटेरन

धारा 13 की उपधारा 3 (ख) के अधीन —

सदस्य

1. श्री हल्केई सहरिया पड़रिया, जागीर
2. श्रीमती अंगूरीबाई नि. पिपरिया
3. श्रीमती गायत्रीबाई सहरिया, नि. चमराह

धारा 13 की उपधारा 3 (ग) के अधीन —

सदस्य

1. श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी, नि. रावन
2. श्री भागीरथ रघुवंशी नि. तिलातिली

धारा 13 की उपधारा 3 (घ) के अधीन —

सदस्य

1. मुख्य कार्यपालन अधि. जनपद पंचायत, नटेरन
2. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, नटेरन
3. परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास, नटेरन

धारा 13 की उपधारा 3 (ङ) के अधीन —

सदस्य

1. प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा नटेरन

धारा 13 की उपधारा 3 (च) के अधीन —

सदस्य

1. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, तहसील नटेरन.

6. विदिशा जिले के उपखण्ड—बासौदा

धारा 13 की उपधारा 3 (क) के अधीन —

अध्यक्ष

उपखण्ड मजिस्ट्रेट (राजस्व), बासौदा

धारा 13 की उपधारा 3 (ख) के अधीन —

सदस्य

1. श्री दौलतराम खटीक, निवासी बासौदा
2. श्री मदनलाल अहिरवार, निवासी बासौदा
3. श्री महेन्द्र अहिरवार, नि. वार्ड क्र.-4, बासौदा

धारा 13 की उपधारा 3 (ग) के अधीन —

सदस्य

1. श्री कांतिभाई शाह, निवासी बासौदा
2. श्री हेमन्तदास गंगवानी, निवासी बासौदा

धारा 13 की उपधारा 3 (घ) के अधीन —

सदस्य

1. अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस बासौदा
2. मुख्य कार्यपालन अधि. जनपद पंचायत, बासौदा
3. अनुविभागीय अधिकारी (कृषि) बासौदा

धारा 13 की उपधारा 3 (ङ) के अधीन —

सदस्य

1. प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा स्टेशन रोड, बासौदा

धारा 13 की उपधारा 3 (च) के अधीन —

सदस्य

1. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, तहसील बासौदा.

7. विदिशा जिले के उपखण्ड—ग्यारसपुर

धारा 13 की उपधारा 3 (क) के अधीन —

अध्यक्ष

उपखण्ड मजिस्ट्रेट (राजस्व), ग्यारसपुर

धारा 13 की उपधारा 3 (ख) के अधीन —

सदस्य

1. श्री रमेश अहिरवार, नि., खजूरी तह. गुलाबगंज
2. श्री शिवनारायण पिता हल्के अहिरवार नि. घटेरा, तह. ग्यारसपुर
3. श्रीमती गीताबाई पत्नी वीरसिंह नि., बोरीरामपुर, तह. ग्यारसपुर.

धारा 13 की उपधारा 3 (ग) के अधीन —

सदस्य

1. श्री प्रताप सिंह रघुवंशी, नि. ग्यारसपुर
2. श्री मुकेश सोनी अभिभाषक, ग्यारसपुर

धारा 13 की उपधारा 3 (घ) के अधीन —

सदस्य

1. मुख्य कार्यपालन अधि., जनपद पंचायत, ग्यारसपुर
2. पशु चिकित्सक, वि. ख. अधि., ग्यारसपुर
3. प्राचार्य उत्कृष्ट उ. मा. वि., ग्यारसपुर.

धारा 13 की उपधारा 3 (ङ) के अधीन —

सदस्य

1. प्रबंधक, यूबीआई बैंक, ग्यारसपुर

धारा 13 की उपधारा 3 (च) के अधीन —

सदस्य

1. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, तहसील ग्यारसपुर.

अनिल सुचारी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 9 दिसम्बर 2016

क्र. 14162-व.लि.शाखा-2016.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-5-2016-1-चार, दिनांक 8 दिसम्बर 2016 के तहत मैं, कलेक्टर, जिला धार, त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन 2016 (उत्तरार्द्ध) हेतु आयोग द्वारा जारी संलग्न परिशिष्ट-एक एवं संशोधित परिशिष्ट-दो के अनुसार मतदान दिनांक 10 दिसम्बर 2016 शनिवार को जिले के संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता हूँ.

उपरोक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये पराक्रम्य लिखित अधिनियम (निगोशियबल इन्स्ट्रमेंट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता हूँ. जो कि निम्नानुसार है :-

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	अवकाश दिनांक/वार
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कुक्षी	1. तलावड़ी	10-12-2016 शनिवार
2.	बदनावर	1. शंभुपाड़ा, 2. भेरूपाड़ा	10-12-2016 शनिवार
3.	नालछा	1. चन्दनखेड़ी, 2. अचाना	10-12-2016 शनिवार
		3. बछड़ावदा, 4. कुंवरसी	शनिवार

श्रीमन् शुक्ल, कलेक्टर.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ-15-06/2016/सात-6:: मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (क.20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम नं. (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उनके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिये कॉलम नं. (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:-

तहसील मानपुर

जिला उमरिया

क्रमांक	ग्राम का नाम प.ह.न.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
01.	01.मूल ग्राम गोवर्दे 02.नवीन ग्राम खिचकिडी प.ह.न. 61	अधीक्षक भू-अभिलेख जिला उमरिया मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण मिश्रा, उप सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2016

क्र. एफ-15-06-2016-सात-6.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-06-2016-सात-6, दिनांक 29 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण मिश्रा, उप सचिव.

Bhopal, the 29th December 2016

No. F. 15-06/2016/VII/Sec.6- In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959, the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3) thereof.

Schedule

Tahsil: Manpur

District: Umaria

Serial No.	Name of village(s) with P.C.No.	Designation of the officer authorised to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
01.	01. Original Village- Govarde 02. New Village-Khichkidi P.C.No. 61	Superintendent of Land Records, (regular) District – Umaria

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KIRAN MISHRA, Dy. Secy.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, जिला खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 7 दिसम्बर 2016

नस्ती क्र.-135-2015-एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र.-10-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1) खण्डवा	(2) खण्डवा	(3) सहेजला	(4) 0.03	(5) कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग-एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना दोंगालिया, जिला खण्डवा.	(6) सुरगांवबंजारी से बीड़ तक रेल मार्ग के निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन अभियंता श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना दोंगालिया, जिला खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वाती मीणा नायक, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 9 दिसम्बर 2016

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र.-17-अ-82-2016-17-5297.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) शहडोल	(2) जैतपुर	(3) जमगांव	(4) 6.387	(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अनूपपुर, म. प्र.	(6) गेहरारी डायवर्सन योजना बांध एवं नहर निर्माण से प्रभावित भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अनूपपुर म.प्र./अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जैतपुर, जिला शहडोल, म. प्र. के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 14 दिसम्बर 2016

रा. प्र. क्र.-06-अ-82-2015-2016-भू-अर्जन.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत टुण्डवाड़ा जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में टुण्डवाड़ा जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-देवरीकला, प.ह.नं.-04, ब.न.-133, रा.नि.मं.-चौरई.	श्री इन्द्रकुमार पिता जयराम लोधी, निवासी ग्राम भूमि स्वामी. 2. मंथरा जौ, जयराम लोधी, निवासी ग्राम भूमि स्वामी. 3. केशू केवल पिता मेहताब लोधी, निवासी ग्राम भूमि स्वामी. 4. निरंजन फूलसिंग सीमाबाई पिता आशाराम लोधी, निवासी ग्राम भूमि स्वामी. 5. गणेश पिता गेंदलाल लोधी निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	91/1 205/2 205/3 205/5 205/1	0.177 0.015 0.015 0.012 0.010	टुण्डवाड़ा जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
कुल योग . .					0.229	

(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय, कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

रा. प्र. क्र.-07-अ-82-2015-2016-भू-अर्जन.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत पिण्डरईसराफ जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पिण्डरईसराफ जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-हिवरखेडी, प.ह.नं.-01, ब.न.-316, रा.नि.मं.-चौरई.	राजू पिता कन्हई वर्मा निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	260/1	0.150	पिण्डरईसराफ जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
कुल योग . .					0.150	

(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय, कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 15 दिसम्बर 2016

क्र. 399-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) रकबा	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	लासा	2.718 हेक्टेयर	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 रीवा.	अल्हवा से लासा पहुंच मार्ग का उन्नयन कार्य लंबाई 6.70 कि.मी.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 400-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा

(1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) रकबा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	अल्हवाखुर्द	1.074 हेक्टेयर	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 रीवा.	अल्हवा से लासा पहुंच मार्ग का उन्नयन कार्य लंबाई 6.70 कि.मी.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 401-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) रकबा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	माडो (दादर)	1.311 हेक्टेयर	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 रीवा.	अल्हवा से लासा पहुंच मार्ग का उन्नयन कार्य लंबाई 6.70 कि.मी.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 402-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) रकबा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	अल्हवा कला	0.331 हेक्टेयर	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 रीवा.	अल्हवा से लासा पहुंच मार्ग का उन्नयन कार्य लंबाई 6.70 कि.मी.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 403-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल रकबा (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	माडो (पांचौ)	0.372	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 रीवा.	अल्हवा से लासा पहुंच मार्ग का उन्नयन कार्य लंबाई 6.70 कि.मी.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 404-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल रकबा (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	फुलझरिया	0.942	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 रीवा.	अल्हवा से लासा पहुंच मार्ग का उन्नयन कार्य लंबाई 6.70 कि.मी.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 405-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदल वर्तमान भू-अधिग्रहण अधिनियम 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	डोल-217	0.673 हेक्टेयर	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, रीवा.	रीवा जिले के ग्राम पडरी-चैया नाला से डोल पहुंच मार्ग में प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 406-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदल वर्तमान भू-अधिग्रहण अधिनियम 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है; और इस कारण अधिनियम की धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	पडरी	4.143 हेक्टेयर	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, रीवा.	रीवा जिले के ग्राम पडरी-डोल पहुंच मार्ग में प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) (प्लान कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भिण्ड, दिनांक 19 दिसम्बर 2016

प्र. क्र. 04-अ-82-15-16-भू-अर्जन-2020-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

संपत्ति का विवरण				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल रकबा (हेक्टेयर्स में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भिण्ड	रौन	बनगढ़	84-0.36 86-0.11 87-0.18 99-0.16 100-0.02 119-0.01 121-0.02 122-0.10 123-0.06 124-0.05 128-0.05 141-0.04 220-0.02 408-0.01 409-0.04 418-0.06 16-1.29	कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि., निर्माण संभाग, भिण्ड.	जखमौली से राठौरन मार्ग के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लहार के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इलैया टी. राजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 15 नवम्बर 2016

प्र. क्र. 1-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि

- (क) जिला—दतिया
- (ख) तहसील—दतिया
- (ग) ग्राम—अगोरा
- (घ) अर्जित क्षेत्रफल—0.78 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	प्रभावित होने वाला रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
770	0.15
771	0.02
772	0.01
842	0.18
840	0.04
851	0.12
850	0.04
853	0.13
854	0.02
855	0.04
819	0.03
कुल : 0.78	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है—खर्गाघाट मध्यम सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा, कलेक्टर, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दतिया, दिनांक 3 दिसम्बर 2016

प्र. क्र. 3-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि

- (क) जिला—दतिया
- (ख) तहसील—दतिया
- (ग) ग्राम—निरावल
- (घ) अर्जित क्षेत्रफल—2.76 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
23	0.13
26	0.01
24	0.02
25	0.13
69	0.08
68	0.03
75	0.19
73	0.01
77	0.27
79	0.14
96	0.09
97	0.08
99	0.11
98	0.01
80/1	0.01
80/2	0.10
102	0.10
103	0.07

(1)	(2)	(1)	(2)
105	0.01	737	0.04
104	0.29	754	0.07
120/1	0.28	911	0.15
169	0.07	932/1	
170	0.03	932/मिन 2	0.09
171	0.01	932/मिन 3	
178	0.14	935	0.01
177	0.03	943	0.02
179	0.23	945	0.13
165	0.08	947	0.13
166	0.02	930	0.13
167	0.09	928/1, 928/2	0.18
कुल रकबा : 2.76		926	0.08
(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है—खर्गाघाट मध्यम सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.		1057	0.08
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.		1059	0.09
(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.		1060	0.11
		1101	0.07
		938	0.04
		942	0.02
		1100	0.03
		1103	0.14
		1113	0.05
		927	0.14
		1054	0.01
		योग : 1.85	

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि

- (क) जिला—दतिया
 (ख) तहसील—दतिया
 (ग) ग्राम—हमीरपुर
 (घ) अर्जित क्षेत्रफल—1.85 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
735	0.02
736	0.02

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है—खर्गाघाट मध्यम सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 9 दिसम्बर 2016

क्र. 14133-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—धार
(ग) ग्राम—पिपल्या
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.090 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
186/2/2	0.090
योग . . .	0.090

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—“नागदा-धार-गुजरी मार्ग निर्माण हेतु.”
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान), का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकार धार तथा संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि., इन्दौर के कार्यालय में कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 14135-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—धार

- (ग) ग्राम—पिंजराया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.935 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
285	0.506
283/3	0.202
282	0.127
283/2	0.100
योग . . .	0.935

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—“नागदा-धार-गुजरी मार्ग निर्माण हेतु.”
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान), का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकार धार तथा संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि., इन्दौर के कार्यालय में कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 14138-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—धार
(ग) ग्राम—कनावल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.334 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
131	0.126
145/3	0.057
145/4	0.025
145/2	0.126
योग . . .	0.334

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—“नागदा-धार-गुजरी मार्ग निर्माण हेतु.”
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान), का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकार धार तथा संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि., इन्दौर के कार्यालय में कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 14140-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—धार
(ग) ग्राम—अनारद
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.992 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
197	0.037
202/1	0.399
201/2	0.249
214/2	0.025
201/4	0.249
200	0.033
योग . .	0.992

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—“नागदा-धार-गुजरी मार्ग निर्माण हेतु.”
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान), का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकार धार तथा संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि., इन्दौर के कार्यालय में कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 14 दिसम्बर 2016

क्र. 10213-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित परिसंपत्तियों के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी
(ग) नगर/ग्राम—जोगीवाड़ा, प.ह.नं.-45, ब.नं.-219
रा.नि.म.-भोमा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.78 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	0.42
24	0.17
25	0.14
26/2	0.05
योग . .	0.78

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

खसरा नम्बर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
निरंक	निरंक

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि, शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 10214-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित परिसंपत्तियों के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी
(ग) नगर/ग्राम—कलारबांकी, प.ह.नं.-46, ब.नं.-43
रा.नि.म.-भोमा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.57 हेक्टेयर.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नम्बर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
217/1	0.26
283	0.01
284	0.30
योग . .	0.57

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि, शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 10215-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित परिसंपत्तियों के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी
(ग) नगर/ग्राम—भाजीपानी, प.ह.नं.-44, ब.नं.-453
रा.नि.म.-भोमा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.35 हेक्टेयर.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नम्बर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
163	0.40
162	0.25
160/1	0.10
160/2	0.15
157	0.12
154/1	0.61
46/1	0.21
46/2	0.34
योग . .	2.18

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

खसरा नम्बर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
158	0.14
150	0.03
योग . .	0.17

कुल योग(अ)+(ब) . . 2.35

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि, शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 10216-भू-अर्जन-2016.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी
(ग) नगर/ग्राम—बांकी, प.ह.नं.-09, ब.नं.-486
रा.नि.म.- सिवनी-बंडोल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.19 हेक्टेयर.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नम्बर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
883/2	0.19
योग-अ . .	0.19

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि, शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 10217-भू-अर्जन-2016.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी

- (ग) नगर/ग्राम—चंदौरीकलां, प.ह.नं.-04, ब.नं.-161
रा.नि.म.-सिवनी-बंडोल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.16 हेक्टेयर.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नम्बर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
151	0.16
योग . .	0.16

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि, शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 10218-भू-अर्जन-2016.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी
(ग) नगर/ग्राम—मुंगवानीखुर्द, प.ह.नं.-06, ब.नं.-491
रा.नि.म. सिवनी-बंडोल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.35 हेक्टेयर.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नम्बर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
16/5	0.12

(1)	(2)
121/1	0.05
121/3	0.18
योग . .	0.35

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि, शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 10219-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—सिवनी
- (ग) नगर/ग्राम—सापापार, प.ह.नं.-06, ब.नं.-551
रा.नि.म. सिवनी-बंडोल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.10 हेक्टेयर.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नम्बर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
33	0.10
योग . .	0.10

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि, शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 10220-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—सिवनी
- (ग) नगर/ग्राम—जैतपुरखुर्द प.ह.नं.-17, ब.नं.-217
रा.नि.म. सिवनी-बंडोल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.20 हेक्टेयर.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नम्बर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
330/1	0.04
336	0.06
211	0.10
योग . .	0.20

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि, शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 10221-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी
(ग) नगर/ग्राम—दिघोरी, प.ह.नं.-11, ब.नं.-276
रा.नि.म. सिवनी-बंडोल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.20 हेक्टेयर.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नम्बर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
344	0.16
318/1	0.04
योग . . .	0.20

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि, शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 10222-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में

वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी
(ग) नगर/ग्राम—बाधी, प.ह.नं.-11, ब.नं.-447
रा.नि.म. सिवनी-बंडोल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.17 हेक्टेयर.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नम्बर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
93/2	0.17
योग . . .	0.17

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि, शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनराजू एस., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.